प्रकीर्ण वाद सं0 2112/2025
धारा–182,193,211 भा0दं0सं0
थाना विभूतिखण्ड, लखनऊ

UPLK010072672025

**न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ।**

**दाण्डिक वाद संख्या 2112/2025**

राज्य द्वारा अभय प्रताप मल्ल, सहायक पुलिस आयुक्त, विभूतिखण्ड, लखनऊ, उ0प्र0।
.....अभियोजन।

**बनाम**

रंगोली गौतम पत्नी दिनेश आयु लगभग 34 वर्ष निवासिनी 538/1462 सीतापुर रोड, शिवलोक, त्रिवेणीनगर–3, लखनऊ। .....अभियुक्ता।

धाराः182,193,211 भा0दं0सं0
थाना विभूतिखण्ड, जिला–लखनऊ।

**उपस्थित :** विवेकानन्द शरण त्रिपाठी, एच0 जे0 एस0 (पीठासीन)
**अभियोजन की ओर से–**श्री अरविन्द मिश्रा, विशेष लोक अभियोजक
**बचाव पक्ष की ओर से–**श्री सतीश कुमार, एडवोकेट, श्री रमाशंकर द्विवेदी, न्यायमित्र
**उद्धृत वादः–(1) विहारी तथा अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य तथा अन्य 2024ए0एच0सी0153816 निर्णीत दिनांक 18.09.2024 (2) मध्य प्रदेश राज्य बनाम घनश्याम सिंह 2003 सी0आर0एल0जे0 4339 सु0को0**

## निर्णय

माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ ने विधिक दृष्टांत **विहारी तथा अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य तथा अन्य 2024ए0एच0सी0153816 निर्णीत दिनांक 18.09.2024** में उपरोक्त विधिक दृष्टांत में माननीय उच्च न्यायालय ने इस बात पर चिन्ता व्यक्त की है कि एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट, जो अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों को अत्याचार के विरूद्ध उपचार हेतु बनाया गया था, उसको हथियार बना करके अनेक व्यक्तियों द्वारा निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है, जिससे वास्तव में जो जरूरतमंद हैं, उनको न्याय देने में कठिनाइ हो रही है। इस कारण यह आवश्यक है कि जो व्यक्ति गलत या झूठी एफ0आई0आर0 दर्ज करवा रहे हों, उनके विरूद्ध धारा 182, 211 भा0दं0सं0 (217, 248 बी0एन0एस0) की रिपोर्ट विवेचक द्वारा प्रेषित की जाये। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस निर्णय की प्रति प्रदेश के सभी विशेष एस0सी0/एस0टी0 न्यायालयों एवं डी0जी0पी0 (उ0प्र0) को आदेश का कठोर अनुपालन करवाने के लिए प्रेषित करने आदेश दिया है। वास्तव में एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट के प्रावधानों का उपयोग, गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों के अत्याचार से बचने के लिए ढाल के रूप में किये जाने का उद्देश्य है, न कि अपने निहित स्वार्थों के लिए इस ऐक्ट के प्रावधानों का दुरूपयोग तलवार

के रूप में, अन्य जातियों के सदस्यों के विरूद्ध किये जाने का कोई उद्देश्य विधायिका का रहा है। माननीय न्यायालय के शब्दों में:–''It is deeply concerning to observe that, while adjudicating cases under the jurisdiction of the Prevention of Atrocities Act concerning SC/ST individuals, this Court has encountered numerous instances where false and exaggerated complaints are being filed for financial gain. The Act, which was designed to provide immediate relief to victims of atrocities, is being misused by some individuals to obtain compensation. The Court has identified several cases where false FIRs were lodged with the sole aim of securing such compensation. To prevent this abuse, a rigorous verification process must be implemented by the authorities before the lodging of an FIR. However, even with such mechanisms in place, if it is discovered that a false FIR has been filed purely for financial gain, the individuals responsible should be held legally accountable. This would serve as a deterrent against the misuse of the Act for personal profit. The weaponization and misuse of provisions intended to protect vulnerable groups who have historically faced discrimination not only undermines the very spirit of these laws but also hampers the progress toward genuine equality. When legal safeguards are exploited for personal or financial gain, it dilutes their effectiveness and erodes public trust in the justice system. Such actions divert attention and resources away from legitimate cases where real victims need protection and justice. Ultimately, this misuse threatens to perpetuate inequality, as it distorts the purpose of these protective measures, which are crucial for addressing systemic injustices and creating a truly equitable society. For true equality to be realized, these legal provisions must be applied with integrity, ensuring they serve those genuinely in need and not those seeking to exploit the system for unjust gains.

While the SC/ST Act plays a crucial role in safeguarding vulnerable communities, measures must be implemented to ensure that compensation relief funds are allocated efficiently and fairly, preventing misuse and supporting genuine victims. At

the same time, to maintain balance and deter the abuse of this special legislation, courts should invoke the legal recourse available under Section 182 of the I.P.C. to hold accountable those individuals, who file false FIRs solely for the purpose of securing compensation. This will ensure that the integrity of the Act is preserved while punishing those who attempt to exploit it for personal gain.

The SC/ST Act is an essential legal safeguard that provides critical protection to historically disadvantaged and marginalized communities. It serves as a vital tool in combating entrenched discrimination, ensuring that those who have faced systemic injustices are afforded legal recourse and relief. By addressing atrocities and promoting social justice, the Act helps bridge the gap between marginalized groups and the broader society, advancing the cause of equality and dignity for all. However, the exploitation of this important provision for personal or financial gain undermines its true purpose. When the Act is misused, it creates suspicion and skepticism within the criminal justice system, eroding the trust of both the public and the innocent individuals who are genuinely affected by discrimination. Such misuse diverts attention away from real victims, weakening the effectiveness of the law and casting doubt on the authenticity of future claims. In the long run, this not only harms the credibility of the justice system but also hinders the progress toward achieving genuine equality for those who continue to face prejudice and marginalization. Maintaining the integrity of the SC/ST Act is essential for preserving its role in protecting the vulnerable and upholding justice.

माननीय उच्च न्यायालय ने उपरोक्त पैराग्राफ में यह वर्णन किया है कि एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट को सदियों से समाज के निचले पायदान पर रहने वाले समुदायों को सुरक्षा देने के उद्देश्य से बनाया गया है तथा यदि इसका दुरूपयोग किया जाता है तो आपराधिक न्याय प्रणाली में लोगों का एवं ऐसे व्यक्तियों का विश्वास कमजोर होता है, जो इस अत्याचार के शिकार होते हैं। ऐसा दुरूपयोग, वास्तविक रूप से पीड़ित व्यक्तियों की चिन्ता एवं देखभाल करने से, स्टेकहोल्डर्स को रोकता है।

प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद, अभियुक्त रंगोली गौतम द्वारा उसकी ओर से पूर्व में दर्ज कराये गये मुकदमें अ0सं0 535/2022 सरकार बनाम कौशल कुमार अग्रवाल व अन्य अंतर्गत धारा 328, 376, 504, 506 भा0दं0सं0 व धारा 3(2)5 एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट थाना विभूतिखण्ड, लखनऊ में विवेचक श्री अभय प्रताप मल्ल, सहायक पुलिस आयुक्त, विभूतिखण्ड, लखनऊ द्वारा विवेचनोपरांत यह पाये जाने पर कि वादी रंगोली गौतम, के द्वारा मु0अ0सं0 535/2022 में झूठी एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी थी, न्यायालय में उसे दण्डित कराने हेतु प्रेषित परिवाद पर संस्थित किया गया है।

परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि सहायक पुलिस आयुक्त, विभूतिखण्ड, लखनऊ, श्री अभय प्रताप मल्ल के द्वारा यह परिवाद अंतर्गत धारा 182, 195 भा0दं0सं0 में इस आशय की प्रेषित की गयी कि *''श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त वादिनी श्रीमती रंगोली गौतम् पत्नी श्री दिनेश, निवासिनी 538/1462 सीतापुर रोड त्रिवेणी नगर 3 निराला नगर, लखनऊ की तहरीरी सूचना के आधार पर थाना विभूतिखण्ड, लखनऊ पर पंजीकृत होकर विवेचना मेरे पूर्वाधिकारी श्री अनूप कुमार सिंह, सहायक पुलिस आयुक्त विभूतिखण्ड, लखनऊ द्वारा ग्रहण कर प्रारम्भ की गयी। उनके स्थानान्तरण के मवात मुकदमा उपरोक्त की विवेचना मुझ नवनियुक्त सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा ग्रहण कर सम्मादित के गयी। मुकदमा उपरोक्त से सम्बंधित वादिनी/पीड़िता श्रीमती रंगोली गौतम उपरोक्त के कलमबद बयान अंतर्गत धारा 164 दं०प्र०सं० के अवलोकन के आधार पर मुताबिक अभियोजन कथानक अभियोग में जुर्म धारा 506 भादवि की वृद्धि की गयी। दौरान विवेचना होटल प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों के अवलोकन से घटना दिनांक 08.08.2022 को वादिनी/पीड़िता श्रीमती रंगोली गौतम उपरोक्त का होटल THE SARA GRAND के कमरा न० 105 में ठहरने के साक्ष्य पाये गये परन्तु होटल प्रबंधन के बयान व होटल में लगे सी0सी0टी0वी कैमरों की फुटेज के अवलोकन से दरमियानी रात किसी भी व्यक्ति का न तो वादिनी मुकदमा के कमरे में प्रवेश करना और न ही कमरे से बाहर आना पाया गया तथा सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह कि तत्समय नामजद आरोपी कौशल कुमार अग्रवाल की मौजूदगी घटनास्थल पर नहीं बल्कि कनाडा में होनी पायी गयी है। तमामी विवेचना, इलेक्ट्रानिक साक्ष्य, गवाहों के बयान आदि से वादिनी पीड़िता श्रीमती रंगोली उपरोक्त द्वारा घटना दिनांक 06.05.2022 को मो0नं0 6386290199 एवं घटना दिनांक 08.08.2022 को मो0नं0 8853948248 प्रयोग में लाया जाना पाया गया। घटना दिनाक 06.05.2022 के परिप्रेक्ष्य में मो0न0 6386290199 की सी0डी0आर0 के अवलोकन से वादिनी/पीड़िता श्रीमती रंगोली उपरोक्त की मौजूदगी उसके निवास*

*स्थान वहद क्षेत्र शिव लोक कालोनी, त्रिवेणीनगर की ही होनी पायी गयी तथा घटना दिनांक 08.08.2022 के परिप्रेक्ष्य में वादिनी/पीडिता श्रीमती रंगोली गौतम उपरोक्त के दोनों मोबाइल नम्बर 6386290199 एवं मोबाइल नम्बर 8853948248 वहद क्षेत्र घटना स्थल पर ही मौजूद होने पाये गए तथा वादिनी मुकदमा द्वारा लगातार भिन्न भिन्न मोबाइल नम्बरों पर लगातार वार्तालाप भी किया जाना पाया गया। समस्त मोबाइल नम्बरों के तकनीकी विश्लेषण से नामजद आरोपी कौशल किशोर के मोबाइल नम्बर 9415211932 की लोकेशन कथित घटनास्थलों पारिवारिक न्यायालय कैसरबाग व बस स्टैण्ड कैसरबाग की होनी नहीं पायी गयी तथा नामजद आरोपी कौशल किशोर के गोबाइल नम्बर 9415211932 से वादिनी मुकदमा के मोबाइल नम्बर 6386290199 एवं मोबाइल नम्बर अवलोकनीय एवं संज्ञान में लाया जाना आवश्यक है कि वादिनी/पीड़िता श्रीमती रंगोली गौतम उपरोक्त के कलपबंद बयान अंतर्गत धारा 164 द०प्र०सं० के बयानी मजमून के अबलोकन से दिनांक 08.08.2022 को नामजद आरोपी कौशल कुमार अग्रवाल द्वारा सीतग यादिनी पीडिता श्रीमती रगोली गौतम उपरोक्त को होटल THE SARIA GRAND 624 B/177 विजयीपुर विशेष खण्ड 2 विभूतिखण्ड, लखनऊ में बुलाना, मिलना एवं वादिनी/पीड़िता के बच्चे को गोद में उठाकर धमकाना आदि बताया गया है, जो कि अभियोजन कथानक की कदापि भी पुष्टि नहीं करता है क्योकि तत्समय नामजद आरोपी कौशल कुमार अग्रवाल उपरोक्त घटनास्थल पर नहीं बल्कि कनाडा राष्ट्र में मौजूद था। वादिनी द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 एवं समक्ष मा0 न्यायालय दर्जशुदा कलमबंद बयान अंतर्गत धारा 164 दं0प्र0सं0 में किसी भी घटनाक्रम को स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं किया गया है। वादिनी/पीड़िता श्रीमती रंगोली गौतम उपरोक्त के कलमबंद बयान अंतर्गत धारा 164 द०प्र०सं० के बयानी मजमून के अवलोकन से दिनांक 06.05.2022 को नामजद आरोपी कौशल कुमार अग्रवाल द्वारा वादिनी/पीडिता श्रीमती रंगोली गौतम उपरोक्त को फोन करके शाम में कैसरबाग चौराहे पर मिलने के लिए बुलाने एवं वहाँ से गोमतीनगर स्थित अनाम होटल में ले जाने की बात कही गयी है, जबकि नामजद आरोपी कौशल कुमार अग्रवाल क मो0नं0 9415211932 एवं वादिनी/पीड़िता श्रीमती रंगोली गौतम उपरोक्त के मो0नं0 6366290199 एवं मो0नं0 8853948248 की सी.डी.आर. के अवलोकन से ऐसी किसी भी बात की पुष्टि नहीं होती है क्योकि नामजद आरोपी कौशल कुमार अग्रवाल के मो0नं0 9415211932 की लोकेशन न तो कैसरबाग की होनी पायी जा रही है और न ही नामजद आरोपी कौशल कुमार अग्रवाल के मो0नं0 9415211932 से वादिनी/पीडिता श्रीमती रंगोली*

*गौतम उपरोक के मो0नं0 6386290199 एवं मोनं0 8853948248 पर किसी भी प्रकार की कोई टेलीफोनिक वार्तालाप ही होना पाया गया। नामजद आरोपी कौशल कुमार अग्रवाल के मो0नं0 9415211932 की सी.डी. आर. के अवलोकन से दिनांक 06.05. 2022 को समय 15.00 बजे से 23.00 बजे तक कुल 10 मोबाइल नम्बरो पर वार्तालाप होना पाया गया है, जो कि आरोपी उपरोक्त के पूर्व परिचित एवं सगे सम्बन्धी है, जिसमें से पीड़िता के उपरोक्त दोनों मोबाइल नम्बर अथवा अज्ञात मोबाइल नम्बर नहीं है। नामजद आरोपी कौशल कुमार अग्रवाल (पासपोर्ट नं0 सं0 5879767) द्वारा वर्ष 2022 में की गयी विदेश यात्रा का विवरण उपलब्ध कराये जाने तथा उपरोक्त दस्तावेजों का सत्यापन कराये जाने हेतु Joint Deputy Director/CFB Bureau of Immigration (MHA) Government of India East Block Vill] Level V] Sector 1 R-K- Puram] New Delhi से द्वारा उचित माध्यम पत्राचार किया गया तो नामजद आरोपी कौशल कुमार अग्रवाल का दिनांक (12.08.2022 को फ्लाइट न0 सं0 761 से नई दिल्ली से कनाडा जाना एवं दिनांक 15.09.2022 को फ्लाइट सं0 एल0एक्स146 से नई दिल्ली वापस आना बखूबी प्रमाणित है। अब तक की तमामी विवेचना एवं पत्रावली में संकलित प्रमाणिक साक्ष्यों से नामजद आरोपी कौशल कुमार अग्रवाल उपरोक्त का किसी भी प्रकार से घटना में शामिल होना नहीं पाया गया और न ही वादिनी अथया सबूत पत्र द्वारा कथित अपराध के बावत ऐसा कोई प्रमाणिक अथया ठोस साक्ष्य ही प्रस्तुत किया जा सका जिससे नामजद आरोपी कौशल कुमार अग्रवाल व एक व्यक्ति अजात की घटना में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संलिप्तता की पुष्टि की जा सके। द्वारा पंजीकृत कराया गया उक्त अभियोग मूल तथ्यों से इतर एवं वास्तविक परिस्थितियों से भिन्न व बलहीन है, जो अभियोजन यानक की कदापि भी पुष्टि नहीं करता है। वादिनी द्वारा अपने किसी अनाम उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उक्त अभियोग पंजीकृत कराया जाना पाया जा रहा है, अतः अभियोग के विधिपूर्ण निस्तारण के क्रम में अब तक की तमामी तफ्तीश, होटल में लगे सी0सी0टी0वी0 कैमरों की फुटेज के अवलोकन, होटल प्रबंधन के बयान, अवलोकन सी0डी0आर0 एवं अन्य संकलित साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में नामजद आरोपी कौशल कुमार अग्रवाल उपरोक्त का कथित घटना में संलिप्त होना अथवा किसी भी प्रकार से घटना को कारित करना नहीं पाया गया, जिसके आधार पर मुकदमा उपरोक्त की विवेचना साक्ष्य के अभाव में जरिये अंतिम रिपोर्ट मय जुर्म खारिजा के दिनांक 24.09.2022 को समाप्त की जा चुकी है, वादिनी/पीडिता श्रीमती रंगोली गौतम उपरोक्त के द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने एवं अन्वेषण एजेंसी का दुरुपयोग करने सम्बन्धी कृत्य के बावत*

*वादिनी श्रीमती रंगोली गौतम पत्नी श्री दिनेश निवासिनी 538/1482 सीतापुर रोड त्रिवेणी नगर 3 निराला नगर, लखनऊ के विरुद्ध अंतर्गत धारा 182/195 भादवि की चालानी रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है। महोदय से निवेदन है कि वादिनी श्रीमती रंगोली गौतम पत्नी श्री दिनेश निवासिनी 538/1462 सीतापुर रोड़ त्रिवेणी नगर 3 निराला नगर, लखनऊ के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 182 व 195 भादवि की रिपोर्ट स्वीकृत करने की कृपा करें।*

इस परिवाद का संज्ञान लिया गया और अभियुक्त रंगोली गौतम को विचारण हेतु तलब किया गया। न्यायालय में उपस्थित आने पर उसके विरूद्ध धारा 182, 211 भा0दं0सं0 के आरोप विरचित किये गये जिससे अभियुक्ता ने इंकार किया और विचारण की मांग किया तथा साक्षी के रूप में पी0डब्लू0–1 के रूप में सहायक पुलिस आयुक्त, विभूतिखण्ड, श्री अभय प्रताप मल्ल के बयान अंकित किये गये। राज्य की ओर से सहायक पुलिस आयुक्त, विभूतिखण्ड, श्री अभय प्रताप मल्ल को साक्षी के रूप में परीक्षित कराया गया। इसके साथ पी0डबलू0–2 के रूप में श्री पंकज मिश्रा, (होटल मैनेजर, सारा ग्रान्ड होटल, विभूतिखण्ड) को परीक्षित कराया गया है।

अभियोजन के द्वारा इसके अतिरिक्त और कोई मौखिक साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया तथा यह कहा गया कि विवेचक के द्वारा विवेचना में किता किये गये पर्चे, केस डायरी में संलग्न सभी सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्य एवं इलेक्ट्रानिक साक्ष्य (होटल में लगे सी0सी0टी0वी0 कैमरे की रिकार्डिंग, दोनों पक्षों के मोबाइल की सी0डी0आर0/लोकेशन व इसके समर्थन में धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र) इस बिन्दु पर न्यायालय के संज्ञान में माना जाये, जिन साक्ष्यों का विश्लेषण करके विवेचक के द्वारा इसमें अंतिम आख्या के साथ धारा 182, 195 भा0दं0सं0 की रिपोर्ट प्रेषित की गयी है। अभियोजन के साक्ष्य के उपरांत इस पत्रावली में 313 दं0प्र0सं0/351 बी0एन0एस0एस0 के बयान अंकित किये गये, जिसमें रंगोली गौतम ने यह कथन किया गया कि उसने अपने साथ हुई बलात्कार की घटना के विषय में सही मुकदमा दर्ज करवाया था तथा साक्षी ने झूठा बयान दिया है, अंतिम रिपोर्ट गलत ढंग से प्रस्तुत की गयी है एवं पूर्व विवेचकों के विवचेना में विरोधाभास है। अभियुक्त को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए निष्पक्ष एवं सही विवेचना नहीं की गयी है तथा वास्तव में अभियुक्त कौशल कुमार अग्रवाल के द्वारा उसके साथ रेप किया गया था, विवेचक द्वारा अभियुक्त के साथ मिलकर सोचे समझे षड़यंत्र के तहत सम्पूर्ण सी0सी0टी0वी0 की फुटेज माननीय न्यायालय के समक्ष दाखिल नहीं

की गयी है, किसी स्वतंत्र साक्षी का साक्ष्य नहीं लिया गया है तथा संबंधित होटल, घटना स्थल अभियुक्त कौशल कुमार अग्रवाल का है, जो मोबाइल आरोपी कौशल कुमार अग्रवाल घटना वाले दिन लिये हुए था उसकी कोई जांच नहीं की गयी तथा जिस वाहट्सअप से वह बात करता था, उसकी भी जांच नहीं की गयी। विवेचक के द्वारा धारा 161/164 दं0प्र0सं0 के बयान को तोड़ मरोड़ कर अभियुक्त के पक्ष में निष्कर्ष निकाला गया है। सच्चाई यह है कि दिनांक 08.08.2022 को आरोपी द्वारा पीड़िता को वाहट्सअप काल करके बुलाया गया था। फोन के द्वारा ही अपने साथियों को निर्देश देकर पीड़िता का बच्चा छिनवाया गया तथा वाहट्सअप काल के माध्यम से पीड़िता को धमकाते हुए आपराधिक घटना कारित की गयी थी। प्रस्तुत साक्षी पी0डबलू0–2, आरोपी कौशल कुमार अग्रवाल का होटल का कर्मचारी है। वह हितबद्ध साक्षी है, जिसका साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। अतः इस मामले में न्याय करते हुए रंगोली गौतम को दोषमुक्त किया जाये एवं वास्तव में दोषी में कौशल कुमार अग्रवाल व एक अन्य व्यक्ति को दण्डित किया जाये।

बचाव पक्ष को सफाई साक्ष्य का अवसर भी दिया गया, जिसमें अभियुक्ता द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

बहस के अवसर पर अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री अरविन्द मिश्रा के द्वारा यह कहा गया है कि अभियुक्ता रंगोली गौतम के द्वारा थाना विभूतिखण्ड में मु0अ0सं0 535/2022 अभियुक्त के रूप में कौशल कुमार अग्रवाल व अन्य व्यक्ति को नामित करते हुए इस आशय का दर्ज करवाया था कि दिनांक 06.05.2022 से दिनांक 08.08.2022 तक कौशल कुमार अग्रवाल ने उसके साथ अपने होटल व विभिन्न स्थानों पर उसको बुलाता रहता था और शारीरिक शोषण करता रहता था, इसके पूर्व शुरूआत तब हुई थी जब रंगोली विधिक परामर्श हेतु पारिवारिक न्यायालय, लखनऊ गयी थी, वहां से कौशल कुमार ने बहला फुसला लिया और गोमतीनगर स्थित होटल में चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर बलात्कार किया। दिनांक 08.08.2022 को कौशल ने विशेषखण्ड, विजईपुर निकट जनता दूध डेयरी के पास होटल में उसे बुलाया और कहा कि यह मेरा होटल है और तुमको यहीं रहना है तथा ग्राहकों को खुश करके उनसे धन प्राप्त करना है। उस रात एक अन्य व्यक्ति ने कौशल के कहने पर उसके साथ कई बार बलात्कार किया, वह अनुसूचित जाति की महिला है, उसे जातिसूचक गालियां भी दी गयी हैं। इस मामले में एफ0आई0आर0 दर्ज करके तत्काल मेडिकल कराया गया, परंतु मेडिकल रिपोर्ट में ऐसा कोई तथ्य

सामने नहीं आया है, जिससे वह हिंसा का शिकार हुई हो। इसी के साथ विवेचक के द्वारा पीड़ित पक्ष एवं आरोपी के मोबाइल की लोकेशन ली गयी तथा यह पाया गया कि कथित घटना दिनांक 08.08.2022 को तो अभियुक्त कौशल किशोर भारतवर्ष में नंहीं था, बल्कि वह अपनी पुत्री से मिलने विगत एक सप्ताह पूर्व ही कनाडा चला गया था। होटल की सी0सी0टी0वी0 फुटेज में भी कथित घटना के दिन अभियुक्ता रंगोली गौतम द्वारा होटल साराग्रान्ड में कमरा सं0 105 बुक कराने का साक्ष्य मिल रहा है, लेकिन उसमें किसी अन्य व्यक्ति के आने या जाने का कोई साक्ष्य नहीं है। होटल के कर्मचारियों के बयान से भी यह स्पष्ट हुआ है कि रंगोली गौतम के द्वारा झूठा मुकदमा कौशल कुमार अग्रवाल के विरूद्ध दर्ज कराया गया था, जिसको अभियोजन के द्वारा इस मामले में संदेह से परे साबित कर दिया गया है। अतः रंगोली गौतम को कठोर सजा दी जाये।

बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सतीश कुमार के द्वारा बहस करते हुए कहा गया है कि इस मामले में अभियोजन साक्षी परीक्षित हुए है, लेकिन उनको जिरह करने का अवसर न देकर न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायमित्र से जिरह करायी गयी है। जिसके बाद उन्होंने स्वयं जिरह करने के लिए गवाहों को तलब करने हेतु धारा 311 दं0प्र0सं0 का प्रार्थना पत्र दिया था, जो न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया, इस मामले में अभियुक्ता रंगोली गौतम के प्रति वास्तव में अपराध हुआ है, परंतु कौशल कुमार आदि के प्रभावशाली होने के कारण विवेचक द्वारा जानबूझकर उन्हें बचाने के आशय से एफ0आर0 लगा दी गयी, एवं उल्टे पीड़िता रंगोली गौतम को आरोपित बना दिया गया। अभियोजन अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं कर सका है। अतः रंगोली गौतम को दोषमुक्त कर दिया जाये।

मैंने उभयपक्षों को विस्तार से सुन लिया है तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन कर लिया है।

मामले के उचित निस्तारण हेतु निम्न प्रश्न विरचित किये जाते हैंः–

**1**–क्या अभियुक्ता रंगोली गौतम के द्वारा दिनांक 09.08.2022 को थाना विभूतिखण्ड लखनऊ में कौशल कुमार अग्रवाल व एक अन्य व्यक्ति के विरूद्ध इस आशय से मु0अ0सं0 535/2022 अंतर्गत धारा 328, 376, 504 भा0दं0सं0 व धारा 3(2)5 एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट, लोक सेवक को मिथ्या सूचना देकर दर्ज करायी गयी कि लोक सेवक किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचा सके?

**2**–क्या अभियुक्ता रंगोली गौतम के द्वारा यह जानते हुए भी, कि कौशल कुमार

अग्रवाल के विरूद्ध कार्यवाही या आरोप के लिए कोई न्यायसंगत या विधिपूर्ण आधार नहीं है कि उसकी क्षति कारित करने के आशय से उसके विरूद्ध दाण्डित कार्यवाही संस्थित करवाई गयी?

**3**–क्या अभियोजन अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित कर सका है?

उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर समुचित एवं उपलब्ध साक्ष्यों का विशलेषण करने के उपरांत निम्न प्रकार पाया गयाः–

| | |
|---|---|
| **प्रश्न उत्तर सं0–1** | **सकारात्मक** |
| **प्रश्न उत्तर सं0–2** | **सकारात्मक** |
| **प्रश्न उत्तर सं0–3** | **सकारात्मक** |
| **पारित दण्डादेश** | **निर्णय के अंत में पारित आदेशानुसार** |

उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का मूल्यांकन निम्न प्रकार किया गयाः–

**<u>निस्तारण प्रश्न सं0–1 व 2:–</u>**

यह प्रश्न सं0 1 इस आशय का विरचित किया गया है कि ''क्या अभियुक्ता रंगोली गौतम के द्वारा दिनांक 09.08.2022 को थाना विभूतिखण्ड लखनऊ में कौशल कुमार अग्रवाल व एक अन्य व्यक्ति के विरूद्ध इस आशय से मु0अ0सं0 535/2022 अंतर्गत धारा 328, 376, 504 भा0दं0सं0 व धारा 3(2)5 एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट, लोक सेवक को मिथ्या सूचना देकर दर्ज करायी गयी कि लोक सेवक किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचा सके?'' एवं प्रश्न सं0 2 इस आशय का विरचित है कि **''**क्या अभियुक्ता रंगोली गौतम के द्वारा यह जानते हुए भी, कि कौशल कुमार अग्रवाल के विरूद्ध कार्यवाही या आरोप के लिए कोई न्यायसंगत या विधिपूर्ण आधार नहीं है कि उसकी क्षति कारित करने के आशय से उसके विरूद्ध दाण्डित कार्यवाही संस्थित करवाई गयी?''

उपरोक्त दोनों प्रश्न साक्ष्य के एक ही मूल्यांकन से संबंधित हैं, अतः उनका निस्तारण एक ही साथ किया जा रहा है।

इस मामले में अभियोजन ने परिवादी सहायक पुलिस आयुक्त, विभूतिखण्ड श्री अभय प्रताप मल्ल को साक्षी के रूप में परीक्षित कराया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा है कि ''दिनांक 09.09.2022 को बतौर सहायक पुलिस आयुक्त,

विभूतिखण्ड, लखनऊ पर कार्यरत था। उसी दौरान मु0अ0सं0 535/2022 अंतर्गत धारा 328, 376, 504 भा0दं0सं0 व धारा 3(2)5 एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट थाना विभूतिखण्ड वादिनी रंगोली गौतम बनाम कौशल कुमार अग्रवाल व अन्य व्यक्ति पिता का नाम अज्ञात पंजीकृत होकर तत्कालीन विवेचना अनुप कुमार सिह के द्वारा पर्चा नं0 1 से लेकर 7 तक दिनांक 09.08.2022 से दिनांक 31.08.2022 तक किता किया गया। उनके स्थानान्तरण के बाद विवेचना मेरे द्वारा ग्रहण की गयी, जिसमें पूर्व किता पर्चों का अवलोकन किया गया, जिसमें एफ0आई0आर0 कम्प्यूटीकृत है, जो कम्प्यूटर आपरेटर द्वारा टाईप की गयी है, जिसे पर तत्कालीन थाना प्रभारी के हस्ताक्षर है, जिसे साक्षी ने प्रदर्श क–1 के रूप में साबित किया है। दौरान विवेचना उपरोक्त मुकदमा के संबंध में दिनांक 08.09.2022 को पर्चा नं0 8 किता करते हुए दिनांक 03.10.2022 को पर्चा नं0 17 किता कतरे हुए अतिम रिपोर्ट न्यायालय प्रेषित करते हुए विवेचना समाप्त की गयी, दौरान विवेचना यह तथ्य प्रकाश में आया कि मुकदमा उपरोक्त की वादिनी श्रीमती रंगोली गौतम उपरोक्त द्वारा तहरीरी सूचना के आधार पर उक्त मुकदमा थाना विभूतिखण्ड में पंजीकृत हुआ। दौरान विवेचना साक्ष्य की कार्यवाही में होटल प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों का अवलोकन से घटना दि0 08.08.2022को वादिनी श्रीमती रंगोली गौतम उपरोकत का होटल द सारा ग्रान्ड के कमरा नं0 105 में ठहरने के साक्ष्य पाये गये, परंतु होटल प्रबंधन के बयान व होटल में लगे सी0सी0टी0वी0 कैमरे के फूटेज के अवलोकन से दरमियानी रात न तो वादिनी मुकदमा के कमरे में प्रवेश करना और न ही कमरे से बाहर आना पाया गया तथा सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह ळे कि तत्समय नामजद आरोपी कौशल कुमार अग्रवाल की मौजूदगी घटना स्थल पर नहीं बल्कि कनाडा में होनी पायी गयी। तमामी विवेचना, इलेक्ट्रानिक साक्ष्य, गवाहों के बयान आदि से वादिनी/पीड़िता श्रीमती रंगोली गौतम उपरोक्त द्वारा घटना दिनांक 06.05.2022 को मो0नं0 6386290199 घटना दिनांक 08.08.2022 को मो0नं0 8653948248 प्रयोग में लाया जाना पाया गया। घटना दिनांक 06.05.2022 के परिप्रेक्ष्य में म0नं0 6386290199 की सी0डी0आर0 के अवलोकन से वादिनी/पीड़िता श्रीमती रंगोली गौतम उपरोक्त की मौजूदगी उनके निवास स्थान वृहद शिवलोक कालोनी की ही होना पायी गयी तथा दिनांक 08.08. 2022 के परिप्रेक्ष्य में वादिनी/पीड़िता श्रीमती रंगोली गौतम के दोनों मो0नं0 6386290199 व मो0 नं0 8853948248 घटना स्थल पर ही मौजूद होना पाये गये तथा वादिनी मुकदमा द्वारा लगातार भिन्न–भिन्न मो0नं0 पर लगातार वार्तालाप किया जाना पाया गया। समस्त मो0नं0 के तकनीकी विश्लेषण से नामजद आरोपी कौशल

किशोर के मो0नं0 9415211932 की लोकेशन कथित घटना स्थलों परिवारिक न्यायालय कैसरबाग व बस स्टैण्ड कैसरबाग की होनी नहीं पायी गयी तथा नामजद आरोपी कौशल किशोर के मो0नं0 9415211932 से वादिनी मुकदमा के मो0नं0 6386290199एवं मो0नं0 8853948248 पर किसी भी प्रकार की कभी कोई टेलीफोनिक वार्तालाप का भी होना नहीं पाया गया। यहां यह तथ्य विशेष तौर पर अवलोकनीय एवं संज्ञान में लाया जाना आवश्यक है कि वादिनी/पीड़िता श्रीमती रंगोली गौतम उपरोक्त के कलम बंद बयान अंतर्गत धारा 164 दं0प्र0सं0 के बयानी मजमून के अवलोकन से दिनांक 08.08.2022 के नामजद आरोपी कौशल कुमार अग्रवाल द्वारा वादिनी/पीड़िता श्रीमती रंगोली गौतम उपरोक्त को होटल द सारा ग्रान्ड 624बी/177 विजयीपुर विशेष खण्ड–2 विभूतिखण्ड, लखनऊ में बुलाना मिलना एवं वादिनी पीड़िता के बच्चे को गोद में उठाकर धमकाना आदि बताया गया है जो कि अभियोजन कथानक कि कतई पुष्टि नहीं करता है, क्योंकित तत्समय नामजद आरोपी कौशल कुमार अग्रवाल उपरोक्त घटना स्थल पर नहीं कनाडा राष्ट्र में मौजूद था। वादिनी द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 एवं समक्ष न्यायालय दर्जशुदा कालमबंद बयान अंतर्गत धारा 164 दं0प्र0सं0 में किसी भी घटना क्रम को स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं किया गया है। वादिनी/पीड़िता श्रीमती रंगोली गौतम के कलमबंद बयान अंतर्गत धारा 164 दं0प्र0सं0 के बयानी मजमून के अवलोकन से दिनांक 06.05.2022 को नामजद आरोपी कौशल कुमार अग्रवाल द्वारा वादिनी/पीड़िता श्रीमती रंगोली गौतम उपरोक्त को फोन करके शाम को कैसरबाग चौराहे पर मिलने के लिए बुलाने एवं वहां से गोमतीनगर स्थिति किसी होटल में ले जाने वाली बात कही गयी है, जबकि नामजद आरोपी कौशल कुमार अग्रवाल के मो0नं0 9415211932 एवं वादिनी/पीड़िता श्रीमती रंगोली गौतम उपरोक्त के मो0नं0 6386290199 एवं मो0नं0 8853948248 की सी0डी0आर0 के अवलोकन से किसी भी बात की पुष्टि नहीं होती है, क्योंकि नामजद आरोपी कौशल कुमार अग्रवाल के मो0नं0 9415211932 की लोकेशन न तो कैसरबगाक की होनी पायी जा रहीहै और न ही नामजद आरोपी कौशल कुमार अग्रवाल के मो0नं0 9415211932से वादिनी/पीड़िता श्रीमती रंगोली गौतम के मां0नं0 6386290199 व 8853948248 पर किसी भी प्रकार की कोई टेलीफोनिक वार्तालाप होना नहीं पाया गया। नामजद आरोपी कौशल कुमार अग्रवाल के मो0नं0 9415211932 की सी0डी0आर0 के अवलोकन से दिनांक 06.05.2022 को समय 15 बजे से 23 बजे तक कुल 10 मो0नं0 से वार्तालाप होना पाया गया है, जो कि आरोपी उपरोक्त के पूर्व परिचित एवं सगे संबंधी हैं, जिसमें से पीड़िता के दोनों

मो0नं0 एवं अज्ञात मो0नं0 नहीं है। नामजद आरोपी कौशल कुमार अग्रवाल (पासपोर्ट नं0 25879767) द्वारा वर्ष 2022 में की गयी विदेश यात्रा का विवरण उपलब्ध कराये जाने तथा उपरोक्त दस्तावेजों का सत्यापन कराये जाने हेतु संयुक्त उप निदेशक, सी0एफ0ओ0 ब्यूरों ऑफ इमिग्रेसन, भारत सरकार से द्वारा उचित माध्यम पत्राचार किया गया तो नामजद आरोपी कौशल कुमार अग्रवाल का दिनांक 02.08.2022 को फ्लाइट नं0 एल0एच 761 से नई दिल्ली से कनाडा जाना एवं दिनांक 15.09.2022 को फ्लाइट नं0 एल0एक्स0146 से नई दिल्ली वापस आना बखुबी प्रमाणित है। तमामी विवेचना एवं पत्रावली में संकलित प्रमाणित साक्ष्यों से नामजद आरोपी कौशल कुमार अग्रवाल उपरोक्त का किसी भी/प्रकार से घटना में शामिल होना नहीं पाया गया और न ही वादिनी द्वारा कथित अपराध के बावत ऐसा कोई प्रमाणित अथवा ठोस साक्ष्य ही प्रस्तुत किया जा सका, जिससे कि नामजद आरोपी कौशल कुमार अग्रवाल व एक व्यक्ति अज्ञात की घटना में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संलिप्तता की पुष्टि की जा सके। वादिनी द्वारा पंजीकृत कराया गया उक्त अभियोग मूल तथ्यों से इतर एवं वास्तविक परिस्थितियों से भिन्न व बलदीन है, जो अभियोजन कथानक की कदापी पुष्टि नहीं करता है। अभियोग के विधिपूर्ण निस्तारण के क्रम में तमामी तफ्तीश, होटल में लगे सी0सी0टी0वी0 कैमरा के फुटेज के अवलोकन, होटल के प्रबंधन के बयान, अवलोकन सी0डी0आर0 एवं अन्य संकलित साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में नामजद आरोपी कैशल कुमार अग्रवाल उपरोक्त का कथित घटना में संलिप्त होना अथवा किसी भी प्रकार से घटना को कारित करना नहीं पाया गया, जिसके आधार पर मुकदमा उपरांक्त को जरिए अंतिम रिपोर्ट मय जुर्म खारजा के समाप्त की गयी। वादिनी/पीड़िता श्रीमती रंगोली गौतम उपरोक्त के द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने एवं अन्वेषण एजेंसी का दुरूपयोग करने संबंधी कृत्य के बावद वादिनी रंगोली गौतम के विरूद्ध अंतर्गत धारा 182, 195 भा0दं0सं0 की रिपोर्ट प्रेषित की गयी। घटना का न होना पाये जाने के कारण अभियोग को खारिज करते हुए साक्ष्य के अभाव में जरिए अंतिम रिपोर्ट धारा 173 दं0प्र0सं0 के तहत न्यायालय को प्रेषित की गयी, जिस पर मेरे हस्ताक्षर है, जिसे साक्षी ने प्रदर्श क–2 के रूप मेंजुर्मखारिज रिपोर्ट को प्रदर्श क–3 के रूप में एवं उसी क्रम में साक्षी द्वारा न्यायायला को रिर्पोट चालानी अंतर्गत धारा 182 दं0प्र0सं0 दिनांकित 03.10.2022 को प्रदर्श क–4 के रूप में साबित किया है।

इस साक्षी से विस्तार से जिरह की गयी है उल्लेखनीय है कि इसी साक्षी ने बाद में मामले की विवेचना की थी, क्योंकि प्रकरण प्रारंभ से

ही एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट में दर्ज किया गया था, जिसकी विवेचना पुलिस उपाधीक्षक से अनिम्न स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाना विधि अनुसार अपेक्षित है, इस कारण विवेचक के द्वारा अपनी केस डायरी में जो पर्चे किता किये गये है वे उक्त साक्षी के द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य के रूप में माने जायेंगे। उल्लेखनीय है कि इस मामले में विवेचना की शुरूआत श्री अनूप कुमार सिंह, ए0सी0पी0, विभूतिखण्ड द्वारा की गयी थी तथा पर्चा नं0 1 से लेकर पर्चा नं0 7 तक उनके द्वारा किता किये गये है, जिसको बाद में श्री अभय प्रताप मल्ल ने न्यायालय में साबित किया है।

उल्लेखनीय है कि दौरान विचारण इस प्रकरण में अभियुक्ता रंगोली गौतम के इस तथ्य से इंकार नहीं किया गया है कि विवेचकों/अनूप कुमार सिंह/परिवादी श्री अभय प्रताप मल्ल ने रंगोली गौतम का सी0आर0पी0सी0 अंतर्गत धारा 161 का बयान रिकार्ड न किया हो या जो बयान रंगोली गौतम ने दिया था, उससे भिन्न बयान रिकार्ड किया हो, या रंगोली गौतम का बयान अंतर्गत धारा 164 दं0प्र0सं0 न लिखा गया हो।

इस मामले में जो एफ0आई0आर0 मु0अ0सं0 535/2022 थाना विभूतिखण्ड में दर्ज हुई थी, उसका भी उल्लेख किया जाना सुसंगत होगा, जिसे पी0डबलू0–1 ने प्रदर्श क–1 के रूप में न्यायालय में साबित भी किया है, जो निम्न हैः–सेवा में श्रीमान थाना प्रभारी थाना विभूतिखण्ड लखनऊ महोदय निवेदन है कि *''प्रार्थिनी रंगोली गौतम पत्नी दिनेश निवासिनी 538/1462 सीतापुर रोड त्रिवेणीनगर 3 निरालानगर लखनऊ की है। प्रार्थिनी का उसके पति से घरेलू विवाद चल रहा है जिस सम्बध में प्रार्थिनी माह 06 मई 2022 में विधिक परामर्श हेतु पारिवारिक न्यायालय लखनऊ गई थी जहाँ उसे एक व्यक्ति मिला जिसने अपना नाम कौशल कुमार अग्रवाल बताया। कौशल कुमार ने प्रार्थिनी से उसकी समस्या पूछी और कहा कि मैं तुम्हारी हर तरीके से मदद कर सकता हूँ। प्रार्थिनी ने बताया कि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है वह बहुत मंहगा वकील वहन नहीं कर सकती है तो कौशल कुमार ने कहा कि मैं तुम्हारी नौकरी भी लगवा दूँगा तो तुम्हारी पैसे की समस्या भी खत्म हो जाएगी। कौशल कुमार प्रार्थिनी को गोमतीनगर स्थित एक होटल में ले गया और कमरे में ले जाकर बिठाया। थोड़ी देर बाद कौशल कुमार ने प्रार्थिनी को चाय पिलाई जिसे पीने के बाद प्रार्थिनी बेहोशी की हालत में हो गई जिसके बाद प्रार्थिनी के साथ कौशल कुमार अग्रवाल ने प्रार्थिनी के साथ बलात्कार किया और प्रार्थिनी की अश्लील वीडियो भी बना ली। होश में आने*

*के बाद कौशल कुमार ने कहा कि अब जब जब तुम्हे जहाँ मैं बुलाऊँ चुपचाप आ जाया करना नही तो वीडियो वायरल कर दूंगा तो तुम कही की नही रहोगी। प्रार्थिनी लोक लाज के भय से घर वापस आ गयी और घटना किसी को नही बताई। उसके बाद से कौशल कुमार अग्रवाल विभिन्न स्थानो पर प्रार्थिनी को बुलाता रहा और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर प्रार्थिनी का शारीरिक शोषण करता रहा। कल दिनांक 08.08.2022 को कौशल ने प्रार्थिनी को शाम 4.00 बजे एक होटल स्थित विजयीपुर विशेषखण्ड निकट जनता दूध डेयरी लखनऊ में बुलाया और कहा कि यह मेरा होटल है आज से तुमको यही रहना है और जो मैं कहूँ वही करना है तुम्हे पैसे की कोई कमी नही होगी। रात करीब 9 बजे उस होटल के कमरे में एक व्यक्ति आया और कहने लगा कि मैने तुम्हारी कीमत कौशल कुमार को दी है और आज की रात तुम मेरी हो। उस व्यक्ति ने प्रार्थिनी के साथ कई बार बलात्कार किया और आधी रात को कमरे से चला गया। प्रार्थिनी भयभीत होकर रात भर उस कमरे में पड़ी रही और सुबह मौका पाकर होटल से भाग निकली। कौशल कुमार अग्रवाल विजयीपुर विशेषखण्ड का रहने वाला है और प्रार्थिनी के साथ बलात्कार कर वीडियो बना ली है और प्रार्थिनी को देह व्यापार में भी ढकेलना चाहता है। प्रार्थिनी अनुसूचित जाति की है। मुझे जाति सुचक शब्द का प्रयोग करते हुए गली दिया जाता है। अत आप श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थिनी की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर उचित कार्यवाही करन की कृपा करें।''*

इस तहरीर के आधार पर जी0डी0 सं0 44 दिनांक 09.08.2022 समय 16.22 बजे थाने में एफ0आई0आर0 दर्ज हुई थी तथा जी0डी0 के अवलोकन से स्पष्ट है कि रंगोली एक महिला अधिवक्ता के साथ थाने में गयी थी, अर्थात रंगोली गौतम को शुरू से ही विधिक सहायता मिल रही थी। पीड़िता का जो बयान अंतर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 दर्ज किया गया, उसमें उसने सी0डी0 के निम्न कथन किया हैः– *''मेरा नाम रंगोली गौतम है और मेरे पति का नाम दिनेश है और मेरे पिता जी का नाम अशोक है। मेरी उम्र लगभग 23 वर्ष है और मैं कक्षा 8 तक पढ़ी हूँ। मेरे पति ने एक साल पहले मुझे किसी और महिला के लिये मुझे छोडकर चले गये थे और गुजरात में कहीं रहते हैं। मेरा दो साल का एक बच्चा भी है. जिसके पालन पोषण में मुझे काफी समस्या आ रही थी और मेरी सास भी मुझे घर में नहीं रहने दे रही थी। जिसके सम्बन्ध में मैं दिनांक 06.05.2022 को विधिक परामर्श हेतु परिवार न्यायालय लखनऊ गयी थी, जहाँ पर मेरी मुलाकात कौशल किशोर अग्रवाल से हुई थी। उसने मुझसे मेरी समस्या पूछी और मुझे भरोसा दिलाया कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें*

*नौकरी भी दिलाऊँगा। मैं कौशल किशोर के झाँसे में आ गयी। एक दिन कौशल किशोर ने मुझे फोन करके बातचीत करने के बहाने गोमतीनगर स्थित एक होटल के कमरे में बुलाया। थोडी देर के बाद कौशल किशोर ने मुझे चाय पिलाई, जिसके पीने के बाद ही मैं बेहोशी की हालत में चली गई और मुझे कुछ भी होश नहीं था। बेहोशी की हालत में ही कौशल किशोर ने मुझे बेड पर लेटा दिया और मेरे साथ बलात्कार किया और मेरी अश्लील फोटो और विडियो बना ली। जब मुझे होश आया तो कौशल किशोर ने मुझे मेरी अश्लील फोटो और विडियो दिखाते हुए कहा कि जब भी मैं तुम्हें बुलाऊ, चुपचाप आ जाया करना और अगर नहीं आओगी तो मैं तुम्हारी अश्लील फोटो और विडियो वायरल कर दूँगा। इसके बाद कौशल किशोर ने मुझे कई बार फोन करके अलग अलग होटलों में बुलाया और मेरी अश्लील फोटो और विडियो वायरल करने की धमकी देकर मेरा बलात्कार करता रहा। जब मैं उसको आने से मना करने के लिए बोलती तो वो मुझे जातिसूचक गालियाँ देता था। दिनांक 08.08.2022 को कौशल किशोर में मुझे फिर से फोन किया और जनता दूध डेयरी विजयीपुर के बगल वाले होटल पर मिलने बुलाया और मुझसे कहा कि ये मेरा ही होटल है, अब से तुम यहीं रहना और जैसा मैं कहूँगा, वैसा ही करना। इसके बाद कौशल किशोर मुझे होटल में रुकवाकर चला गया। फिर रात मे लगभग 09.00 बजे के करीब एक आदमी मेरे कमरे में आया और मुझसे कहा कि मैंने कौशल किशोर को तुम्हारी कीमत दी है और आज रात के लिये तुम मेरी हो और फिर उस आदमी ने कई बार मेरा बलात्कार किया और आधी रात में मुझे छोड़कर चला गया। मैंने किसी तरह रात उस होटल के कमरे में काटी और सुबह मौका पाकर मैं होटल से भाग निकली। इसके बाद मैं सरिता मिश्रा जी के साथ जो कि मेरी बड़ी बहन की ही तरह हैं और वकील भी हैं, उनके साथ थाने आयी और इंस्पेक्टर साहब को पूरी बात बतायी और फिर उनके कहने पर मेरी एफ0आई0आर0 दर्ज हुई। अभी मुझे जितना याद था, मैंने सब बता दिया। बाकी मुझे जो और बात कहनी होगी, वो मैं कोर्ट में कहूँगी।*

***प्रश्न*** *– कौशल किशोर अग्रवाल के नाम के अलावा आप उसके बारे में और क्या जानती है।*

**उत्तर–** *मैं केवल उसका नाम और मोबाइल नम्बर ही जानती हूँ। उसका मोबाइल नम्बर 9415211932 है और ये मुझे अपने इसी नम्बर से मेरे मोबाइल नम्बर 8853948248 पर काल करता था।*

***प्रश्न–*** *कौशल किशोर अग्रवाल ने गोमतीनगर स्थित जिस होटल में पहली बार आपको बुलाकार आपके साथ बलात्कार किया था और फिर उसके बाद आपको जिन जिन होटलों में बुलाया था, क्या उन होटलों में से आपको किसी भी एक होटल का नामपता मालूम है।*

**उत्तर–** *नहीं.. मुझे उन होटलों में से किसी का नाम पता तो मालूम नहीं है लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है है कि वो सब इसी गोमतीनगर के आसपास के ही होटल थे।''* तत्पश्चात पीड़िता का बयान धारा 164 दं0प्र0सं0 विवेचक द्वारा मजिस्ट्रेट कोर्ट में करवाया गया, जिसका उल्लेख केस डायरी के पर्चा नं0 5 में किया गया है, जो निम्न है। *''मेरा नाम रंगोली गौतम है। मैं लखनऊ में पिछले 5 (पाँच) सालों से रह रही हूँ। मैं मूल रूप से कानुपर देहात की रहने वाली हूँ। मैंने कक्षा 8 तक की शिक्षा प्राप्त करी है। मैं दूसरे घरो में खाना, झाड़ू, पोछा, बर्तन बगैरह का काम करती हूँ। मेरी शादी 06.05.2017 को हुई थी। मेरा एक बेटा है। मेरे पति बलरामपुर अस्पताल मे सफाई कर्मचारी हैं। मेरे पति जनवरी 2022 में मुझे छोड़ कर चले गए। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुमको पसंद नहीं करता और दूसरी शादी करूँगा। मेरी सास भी पति का समर्थन करती थी। मुझे इसी वर्ष जनवरी में पति का दूसरी स्त्री के साथ चक्कर चल रहा है, ये बात पता चली। मैंने उनके फोन के मैसेज देख लिये थे। मुझे बस ये पता है कि वो महिला इन्हीं के साथ काम करती थी पर नाम नहीं पता। उसका नाम पति के फोन में बाबू नाम से सेव था। जब मुझे ये सब पता चला तो मैंने घर वालों को बताया और फिर काफी हंगामा भी हुआ। मेरे पति ने गुस्से में मुझे मारा और मेरे ऊपर गर्म दूध गिरा दिया और फिर गुजरात चले गए और तब से वापस नहीं आए। पुराना सिम वगैरह तोड़ दिया। मैं और मेरा बेटा अकेले रहते हैं। सास अलग रहती हैं। मैं अपने पति के खिलाफ मुकदमा लिखाने परिवार न्यायालय गयी थी और वहीं मेरी मुलाकात कौशल किशोर अग्रवाल से हुई। मैं दिनांक 06.05. 2022 को परिवार न्यायालय गयी थी और तभी इससे मिली। इन्होंने मुझे अकेले कोने में बुलाया और कहा कि यहाँ के वकील बहुत महंगे हैं और तुम इन्हें नहीं कर पाओगी, मैं तुम्हें अच्छे वकील से मिलाता हूँ, मेरी जान पहचान में अच्छे से अच्छा वकील है। इन्होने मेरे फोन नम्बर मागा पर मेरे पास फोन नहीं था, तो बोले चलो मैं तुम्हें फोन दिला देता हूँ। उसने मीठी बातें करी और मुझे नौकरी दिलाने का वादा भी किया। मैं उनकी बातों में आ गयी और फोन लेने चली गयी। फोन दिलाने के बाद मैं अपने घर गयी। शाम को इनका फोन आया कि मुझे कैसरबाग चौराहे पे मिलों, मैं काम दिला देता हूँ तुम को। मैं चौराहे पे मिली और वहाँ से मुझे अपनी गाड़ी में बैठा*

*कर गोमतीनगर ले गया। मैं बच्चों को भी साथ में ले गयी थी। ये सब कुछ 06.05.2022 को ही हुआ। वहाँ एक होटल मे ले गया और वेटिंग रुम मैं बैठाया। ये चाय लेकर आया और मैंने चाय पी ली। कुछ बाद मेरा सर बहुत तेज घूमने लगा। मैंने उसे बताया तो कहने लगा कि सर दर्द होगा। मैं वहीं बेहोश हो गयी। मुझे नहीं पता फिर मेरे साथ क्या हुआ। जब मुझे होश आया तब मैं उसी होटल के कमरे में थी और मेरे शरीर पर एक भी कपडा नहीं था। मेरा बेटा वहीं कमरे में ही था। मेरे होंठ कटे हुये थे, मेरी छाती में दर्द था और मेरी योनि में बहुत ज्यादा दर्द था। मुझे समझ आ गया था कि मेरा बलात्कार हुआ है। इसने मेरी नग्न अवस्था में वीडियो बना ली थी और मुझे इसने वीडियो दिखाया और बोला कि अब तुम्हें जब बुलाउंगा तब तुमकों आना पडेगा नहीं तो तुम्हारी विडियो वायरल कर दूँगा और तुम्हारें बच्चों को मार डालूंगा। मैंने जब बोला कि यह सब गलत है, तुम मजबूरी का फायदा उठा रहे हो तो बोला कि कुछ पाने के लिये कुछ खोना पडता है। इसके बाद मुझे वापस छोड़ा और फोन और मैसेज कर के मई के महीने में तीन बार अलग होटलों में लेकर गया। मैं किसी होटल का नाम नहीं जानती क्योंकि मुझे अंग्रजी नहीं आती और होटल अंग्रेजी के नाम के थे। मुझे हर बार वीडियो वायरल करने की धमकी देता था। मैं इसी डर से चली जाती थी। हर बार वो मेरा यूँ ही बलात्कार करता था। जून जुलाई में मुझे नहीं बुलाया और फिर दिनांक 08.08.2022 को फोन किया और विशेषखण्ड में जनता दूध डेयरी के बगल में मेरा होटल है और मुझे बुलाया। मुझे बोला कि इसी होटल में काम करो और आराम से रहो आकर, मैं महीने के बीस हजार रुपये (20,000) दूंगा। मैं वहाँ गयी और उसने मुझे एक कमरा दिया। उसने फिर मुझसे बड़ा वाला फोन ले लिया, जिसमें उसके फोटो और मैसेज थे और मुझे छोटा वाला की पैड फोन दे दिया। उसी दिन मुझे फोन किया कि बाहर एक लड़का है, उसे ले आओ। मैं उसे लेने गयी और पूछा कि क्यों आए हो उसने कहा कि मैंने आज रात के लिये तुम्हारे पैसे दिये हैं कौशल कुमार को। जब मैंने कहा कि मैं ये सब नहीं करती तो बोला कि चाहो तो कौशल कुमार को फोन कर के पूछ लो। मैंने फिर उसे फोन किया और कहा कि पहले तुमने मेरा गलत फायदा उठाया और अब मुझसे देह व्यापार करा रहे हो तो बोला कि करो वरना तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा। उसने मेरा बच्चा बाहर ही उठा लिया था अपनी गोद में। जो वो दूसरा लडका था तो उसने मेरे मना करने के बाद भी उसने मेरे सारे कपड़े उतारे बहुत बुरी तरीके से दो ढाई घण्टे मेरा बलात्कार किया। वो चला गया। मैने कौशल किशोर को फोन किया कि मेरे बच्चा दे दो तो उन्होंने बच्चा वापस कर दिया। अगले दिन दूसरे मैनेजर की शिफ्ट*

*शुरु होने से पहले मैं वहाँ से भाग गयी। इसके बाद मैं विभूतिखण्ड थाने पे गयी और मुकदमा लिखाया। वहीं से कार्यवाही हुई, मेरा बयान हुआ, मेडिकल हुआ और फिर कोर्ट आयी। जिस दिन वो लडका आया तो उसने मुझसे कहा था तुम नीची जाति की हो और इसके धंधे के अलावा और क्या ही काम मिलेगा तुमको यहीं करो, मेरा भी प्राफिट होगा। उसने मुझसे मेरी जाति पूछी थी पर जाति पर गाली गलौज नहीं किया लेकिन नीची जाति वालीं बात कही थी, जो ऊपर बता चुकी हूँ। मैंने यह बयान अपनी मर्जी से दिया है, किसी दबाव में नहीं। इसके अलावा और कुछ नहीं कहना, यही मेरा बयान है।''* दोनों बयानों की तुलना करने पर यह स्पष्ट हो रहा है कि पीड़िता ने यह बताया है कि जिस ग्राहक को कौशल कुमार अग्रवाल ने देह व्यापार कराने के आशय से रंगोली के पास भेजा था, उसने रंगोली के बच्चे को, उठा लिया था और दो–ढाई घण्टे तक रंगोली का बलात्कार किया। इस दौरान भी कौशल किशोर से रंगोली ने फोन पर बातचीत की थी, तब उसको उसका बच्चा वापस मिल पाया था।

प्रसिद्ध रचना ''पंचतंत्र'' में आर्चाय विष्णु शर्मा ने अध्याय, मित्रभेदः के श्लोक 436 में यह उल्लेख किया है कि किसी तथ्य में सच्चाई जानने हेतु सर्वप्रथम दस्तावेजी साक्ष्य यदि हों तो उन पर विचार किया जायेगा, बाद में मौखिक साक्ष्य पर विचार किया जा सकता है, तथा यदि साक्षी का भी अभाव हो तो विद्वानजन शपथ लेने को कहते हैं। इसके अनुसार ''**विवादेन्विष्यते पत्र तदभावेपि साक्षिणः। साक्ष्यभावत्ततों दिव्यं प्रतिदन्ति मनीषिणः।।**'' ऐसा ही दृष्टिकोण भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी दिया गया है, जिसके अनुसार जहां लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, वहां मौखिक साक्ष्यों का अपवर्जन किया जायेगा। इस प्रकीर्ण वाद में जिसमें रंगोली गौतम का विचारण बलात्कार एवं एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट की झूठी रिपोर्ट लिखाये जाने के आरोप हेतु किया जा रहा है, में विवेचक द्वारा विवेचना में किता किये गये सभी पर्चे सुसंगत हैं, क्योंकि वे विवेचना के सामान्य क्रम में पुलिस अधिकारियों द्वारा तैयार किये गये दस्तावेज हैं। इसके अतिरिक्त पत्रावली में लिखित साक्ष्य के रूप में दोनों पक्षों के मोबाइल सी0डी0आर0 एवं लोकेशन एवं कैफ की रिपोर्ट संलग्न है, जिसका इस न्यायालय ने परिशीलन किया है, जो साक्षी पी0डबलू0–1 श्री अभय प्रताप मल्ल के मौखिक साक्ष्य से मेल खा रही हैं। इसी प्रकार पत्रावली में धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र भी पूर्व विवेचक श्री अनूप कुमार सिंह, सहायक पुलिस आयुक्त, विभूतिखण्ड, लखनऊ द्वारा दिनांक 08.08.2022 व दिनांक 09.08.2022 को होटल द सारा ग्राण्ड में लगे सी0सी0टी0वी0 कैमरे की फुटेज के संबंध में

दिया गया है।

जिरह में इस साक्षी से बचाव पक्ष के द्वारा विस्तार से समय लेकर विद्वान न्यायमित्र द्वारा प्रश्न पूछे गये हैं, परंतु ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है, जिससे मजबूत इलेक्ट्रानिक दस्तावेजी साक्ष्यों को, जो विवेचक के द्वारा प्राप्त किये गये है, उनका खण्डन मौखिक साक्ष्य से किया जा सके।

पीड़िता का मेडिकल दिनांक 10.08.2022 को विरांगना झलकारी बाई अस्पताल में किया गया है तथा सैम्पुल को एफ0एस0एल0, लखनऊ भी भेजा गया था। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डबलू0–2 ने यह साक्ष्य दिया है कि वह कथित घटना के दिन दिनांक 08.08.2022 को होटल साराग्राण्ड में मैनेजमेन्ट के पद पर कार्यरत था तथा ऐसी कोई घटना जिसमें उसके कार्यरत रहने के दौरान किसी महिला के साथ बलात्कार किया गया हो या उसके बच्चे को छीना गया हो, असत्य है। साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि *''मैं दिनांक 01.07.2022 से होटल सारा ग्रान्ड में होटल मैनेजर के पद पर कार्यरत था। मैं उस होटल का उस समय पार्टनर भी था। अब मैं वहां पर पार्टनर के रूप में कार्य करना बंद कर दिया, क्योंकि मेरी उपरोक्त होटल के लीज/एग्रीमेन्ट 11 महीने की थी, जो पूरी हो गयी थी। दिनांक 08.08.2022 को मैं उपरोक्त होटल में उपस्थित था। नित्य की भांति कार्य को सम्पादित कर रहा था। दिन सोमवार था। उस दिन एक महिला अपने बच्चे के साथ होटल पर आती है और एक दिन के लिए कमरा बुक करने के लिए कहती है तो उपरोक्त होटल की रिशेप्सन पर वह आयी। जहां पर रिसेप्सनिस्ट के रूप में अमरीन बानों मौजूद थी। महिला से उपरोक्त होटल में कमरा बुक करने का कारण पछा तो महिने ने अपने बच्चे का इलाज सहारा हास्पिटल में कराये जाने का कारण बताया और महिला ने यह बताया कि डाक्टर साहब आज नहीं बैंठेगे। कल बैंठेगे, इसलिए मुझे बस रात तक के लिए ही कमरा चाहिए, फिर महिला से कमरा बुक करने के संबंध में आई0डी0 के संबंध में अपने आधार कार्ड की फोटो कापी देती है और कमरे का किराया 1200/– रू0 तय करके बिना कम ज्यादा किये हुए कमरा ले लेती है। कमरा नं0 105 था। सारी औपचारिकातएं पूरी करते हुए रजिस्टर में इन्ट्री करती है और गेस्ट के रूप में सीरियल नं0 154 पर इनकी इन्ट्री 03.25 पर होती है। उपरोक्त महिला जिसका नाम रंगोली था, क्योंकि उसके आधार कार्ड पर रंगोली नाम दर्ज था, उसीस से उसके नाम की जानकारी हुई। उससे पूर्व उसे मैं नहीं जानता था। जो कि पुलिस लेकर आती है और उसके साथ रात में घटित घटना के बारे में मेरे से*

*पूछतांछ करती है। मुझे जो मालूम था, मैंने पुलिस को बताया कि मैं केवल दिन में ही होटल का काम देखता हूँ और रात का सारा काम नाइट मैनेजर मुकुंद देखता है, लेकिन फिर भी जब मेंने रात की ड्यूटी करने वाले मैनेजर मुकुंद से रात में घटित घ ाटना के बारे में पूछा और उस रात की अपने होटल में लगी सी0सी0टी0वी0 फुटेज देखी तो मुझे उस उक्त कमरा नं0 105 में कोई भी बाहरी आदमी आता जाता नहीं दिखाई दिया। उपरोक्त से संबंधित पुलिस को उलपब्ध करा दी गयी थी। मेरी जानकारी में अन्यहोटल के स्टाफ से जानकारी करने पर भी उपरोक्त घटना का सत्यापन होना नहीं पाया गया। जो भी घटना रंगोली द्वारा बतायी गयी, पूर्णतः मनगढ़न्त एवं झूठी है।''* इस साक्षी से भी जिरह की गयी है, परंतु जिरह में इस साक्षी ने बताया है कि रंगोली गौतम अपने बच्चे के साथ अकेले आयी थी, उसके साथ कोई पुरूष नहीं था। पुलिस ने जो भी साक्ष्य मांगा था, उसे उपलब्ध करा दिया गया था। रंगोली गौतम उस होटल साराग्राण्ड में गयी थी, उसके प्रमाण के रूप में होटल के बुकिंग की रसीद संलग्न है, जिसमें कमरा नं0 105 में रंगोली दिनांक 08.08.2022 को दोपहर 03.25 बजे नगद 1200/– रू0 जमा करके मोबाइल नं0 8853948245 को बुक करवायी थी।

पर्चा नं0 14 में विवेचक पी0डबलू0–1 श्री अभय प्रताप मल्ल ने इस बात का उल्लेख किया है कि दिनांक 06.05.2022 को कौशल कुमार अग्रवाल द्वारा रंगोली गौतम को कैसरबाग चौराहे पर मिलने के लिए बुलाने एवं वहां से किसी होटल में ले जाने की बात धारा 164 दं0प्र0सं0 के बयान में कही गयी है, वह बयान असत्य इस आधार पर हो जा रही है, क्योंकि नामित अभियुक्त कौशल कुमार अग्रवाल के मो0नं0 9415211932 एवं रंगोली गौतम के मो0नं0 6386290199 एवं मो0नं0 8853948248 की सी0डी0आर0 के अवलोकन से इसकी पुष्टि नहीं हो रही है, क्योंकि दोनों के मध्य किसी प्रकार की कोई टेलीफोनिक वार्ता नहीं हुई है। आरोपी कौशल कुमार अग्रवाल के मो0नं0 9415211932 के सी0डी0आर0 लोकेशन से दिनांक 06.05.2022 को 15.00 बजे से 23.00 बजे तक कुल 10 मो0नंबरों पर बात होनी पायी गयी, जिसमें कोई भी दोनों नंबर पीड़िता के नहीं थे।

विवेचक के द्वारा अपने साक्ष्य में इसका भी उल्लेख किया गया है कि आरोपी कौशल कुमार अग्रवाल दिनांक 02.08.2022 को फ्लाइट नं0 एल0एच0761 से नई दिल्ली एअरपोर्ट से कनाडा गया एवं दिनांक 15.09.2022 को फ्लाइट नं0 एल0एक्स146 से नई दिल्ली एअरपोर्ट वापस आया था। इस प्रकार कथित घटना

दिनांक 08.08.2022 को कौशल कुमार अग्रवाल कनाडा में था, अर्थात कथित घटना के एक सप्ताह के पूर्व से लेकर घटना के 35 दिन बाद तक वह भारत में था ही नहीं। यह एक ऐसा तथ्य है जो कौशल कुमार अग्रवाल के अन्यंत्र होने के समर्थन में अकाट्य है, क्योंकि विवेचक के द्वारा इस संबंध में पत्रावली में आरोपी कौशल के पासपोर्ट, वीजा तथा हवाई यात्रा से संबंधित सभी दस्तोवेजों को इस पत्रावली में दौरान विवेचना शामिल किया गया है तथा उनकी सत्यता परीक्षित करने के लिए केन्द्र सरकार की विभिन्न एजेंन्सियों से पत्राचार भी किये गये हैं। वे सभी पत्राचार दौरान विवेचना पत्रावली में शामिल किये गये हैं, जिनसे यह निष्कर्ष निकल रहा है कि कौशल कुमार अग्रवाल ने दिनांक 02.08.2022 से कनाडा की यात्रा प्रारंभ करते हुए उसका समापन वापस दिनांक 15.09.2022 को किया था। इस तथ्य के प्रकाश में तथा विवेचक द्वारा दोनों पक्षों के मोबाइल सी0सी0टी0वी0 लोकेशन के विश्लेषण एवं होटल साराग्राण्ड के दिनांक 08.08.2022 एवं दिनांक 09.08.2022 के सी0सी0टी0वी0 फुटेज के विष्लेषण से यह भलीभांति स्थापित हो जा रहा है कि अभियुक्ता रंगोली गौतम के द्वारा विधिक सलाह लेकर अपनी महिला अधिवक्ता को अपने साथ लेकर जानबूझकर कौशल कुमार अग्रवाल के होटल में जाकर दिनांक 08.08.2022 को एक कमरा सं0 105 बुक कराया गया, उसमें नगद भुगतान किया गया तथा बाद में वहां से निकल कर महिला अधिवक्ता को साथ लेकर एक काल्पनिक कथानक बनाते हुए थाना विभूतिखण्ड में जाकर एफ0आई0आर0 दर्ज करवा दी गयी कि उसके साथ कौशल कुमार अग्रवाल व एक अन्य व्यक्ति ने नशीला पदार्थ पिलाकर बलात्कार किया और उसको देह व्यापार में धकेल दिया। इस प्रकार अभियुक्ता रंगोली गौतम द्वारा जानबूझकर लोकसेवक को ऐसी झूठी सूचना दी गयी, जिससे वह लोक सेवक, एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट एवं धारा 376 तथा 328 भा0दं0सं0 में, जिन धाराओं में आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है, एफ0आई0आर0 दर्ज कर ले तथा कौशल कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार करके उसको जेल में डालकर उसको क्षति पहुंचावे, जबकि रंगोली गौतम को यह मालूम था कि कौशल कुमार अग्रवाल के विरूद्ध ऐसी कार्यवाही या आरोप के लिए कोई विधिपूर्ण या न्यायसंगत आधार नहीं है। इस प्रकार प्रश्न सं0 1 एवं प्रश्न सं0 2 जो इस आशय के विरचित किये गये है कि ''क्या अभियुक्ता रंगोली गौतम के द्वारा दिनांक 09.08.2022 को थाना विभूतिखण्ड लखनऊ में कौशल कुमार अग्रवाल व एक अन्य व्यक्ति के विरूद्ध इस आशय से मु0अ0सं0 535/2022 अंतर्गत धारा 328, 376, 504 भा0दं0सं0 व धारा 3(2)5 एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट, लोक सेवक को मिथ्या सूचना देकर दर्ज करायी

गयी कि लोक सेवक किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचा सके?'' एवं प्रश्न सं0 2 इस आशय का विरचित है कि **''**क्या अभियुक्ता रंगोली गौतम के द्वारा यह जानते हुए भी, कि कौशल कुमार अग्रवाल के विरूद्ध कार्यवाही या आरोप के लिए कोई न्यायसंगत या विधिपूर्ण आधार नहीं है कि उसकी क्षति कारित करने के आशय से उसके विरूद्ध दाण्डित कार्यवाही संस्थित करवाई गयी?'', **सकारात्मक रूप** से निर्णीत किये जाते है।

**<u>निस्तारण प्रश्न–3:–</u>**

यह प्रश्न इस आशय का विरचित किया गया है कि ''क्या अभियोजन अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित कर सका है?''

प्रश्न संख्या 1 व 2 के निस्तारण के समय यह विस्तार से देखा जा चुका है कि अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षी पी0डबलू0–1 श्री अभय प्रताप मल्ल, पी0डबलू0–2 पंकज मिश्रा तथा पत्रावली में प्रस्तुत अन्य मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य (दोनों पक्षों के मोबाइल नंबरों की सी0डी0आर0/कैफ/लोकेशन, सी0सी0टी0वी0 फुटेज आदि) से यह तथ्य भलीभांति स्थापित हो रहा है कि विधिक सलाह लेकर एक महिला अधिवक्ता के साथ जाकर अभियुक्ता रंगोली गौतम के द्वारा कौशल कुमार अग्रवाल व एक अन्य व्यक्ति के विरूद्ध अंतर्गत धारा 328, 376, 504 भा0दं0सं0 एवं धारा 3(2)5 एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट में इस आशय की झूठी सूचना देकर एफ0आई0आर0 लिखवाई गयी कि दिनांक 06.05.2022 से दिनांक 08.08.2022 तक कौशल कुमार अग्रवाल ने उसके साथ अपने होटल साराग्राण्ड एवं विभिन्न जगहों पर बलात्कार किया तथा तथा उसका नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश किया तथा अपने होटल साराग्राण्ड में उसको वैश्यावृत्ति करने के लिए मजबूर किया तथा एक अन्य ग्राहक ने उसके साथ यह कहते हुए बलात्कार किया कि इसके संबंध में उसने कौशल कुमार को भुगतान कर दिया है। इस प्रकरण में तत्काल हरकत में आते हुए थाना विभूतिखण्ड ने एफ0आई0आर0 दर्ज की एवं पीड़िता का मेडिकल कराया तथा एफ0एस0एल0 भी नमूने भेजे गये, पीड़िता का बयान अंतर्गत धारा 161/164 दं0प्र0सं0 अंकित किये तथा दोनों पक्षों के मोबाइल नंबरों की सी0डी0आर0 लोकेशन निकाली। कथित घटना स्थल दिनांक 08.08.2022 का सी0सी0टी0वी0 फुटेज का भी विश्लेषण किया तथा यह पाया गया कि कौशल किशोर अग्रवाल तो उस कथित घटना के समय भारत वर्ष में न होकर कनाडा में था तथा घटना के दिनांक 08.08. 2022 के लगभग एक सप्ताह पूर्व ही कनाडा चला गया था। दोनों के मोबाइल नंबरों

पर भी न तो दिनांक 08.08.2022 को और न ही इसके पूर्व ही दोनों के मध्य कोई वार्ता होनी पायी गयी तथा विवेचक ने यह निष्कर्ष निकाला कि कथित घटना पूरी तरह से फर्जी है एवं अनुचित उद्देश्य से एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी है तथा विवेचक के द्वारा इसी कारण पीड़िता रंगोली के विरूद्ध ही विधिक कार्यवाही कर उसे दण्डित करने हेतु धारा 182/195 भा0दं0सं0 में परिवाद प्रस्तुत कर दिया गया। इस परिवाद के समर्थन में विवेचक श्री अभय प्रताप मल्ल एवं अन्य मौखिक साक्षियों के साथ–साथ विभिन्न दस्तोवजी/इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों की श्रृंखलाबद्ध प्रिन्टआउटस के माध्यम से न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा यह साबित कर दिया गया है कि रंगोली गौतम द्वारा इस मामले में कौशल कुमार अग्रवाल का चरित्र हनन करने के दुराश्य से यह झूठी एफ0आई0आर0 लिखवाई गयी थी। यह भी तथ्य उभर कर सामने आ रहा है कि इस कौशल कुमार अग्रवाल को झूठे मामले में असानी से फंसाने के लिए उसके होटल साराग्राण्ड में ही एक कमरा बुक करवा लिया जाए, जिसके अनुपालन में दिनांक 08.08.2022 को 1200/– रू0 नगद भुगतान किया गया। इस प्रकार यह प्रमाणित हो रहा है कि इस मामले में मिथ्या साक्ष्य भी गढे गये। यही पर धारा 192 एवं 193 भा0दं0सं0 का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा, जो मिथ्या साक्ष्य गढ़ने व उसका दण्ड का प्रावधान करती हैं।

**<u>धारा 192 भा0दं0सं0:–''</u>**जो कोई इस आशय से किसी परिस्थिति को अस्तित्व में लाता है, या (किसी पुस्तक या अभिलेख या इलेक्ट्रानिक अभिलेख में कोई मिथ्या प्रविष्टि करता है या मिथ्या कथन अन्तर्विष्ट रखने वाली कोई दस्तावेज या इलेक्ट्रिानिक अभिलेख रचता है) कि `सी परिस्थिति, मिथ्या प्रविष्टि या मिथ्या कथन न्यायिक कार्यवाही में, या ऐसी किसी कार्यवाही में, जो लोक सेवक के समक्ष उसके नाते या मध्यस्थ के समक्ष विधि द्वारा की जाती है, साक्ष्य में दर्शित हो और कि इस प्रकार साक्ष्य में दर्शित होने पर ऐसी परिस्थिति, मिथ्या प्रविष्टि या मिथ्या कथन के कारण कोई व्यक्ति, जिसे ऐसी कार्यवाही में साक्ष्य के आधार पर राय कायम करनी है एसी कार्यवाही के परिणाम के लिए तात्विक किसी बात के संबंध में गलत राय बनाए, वह ''मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है'', यह कहा जाता है।''

धारा 193 भा0दं0सं0 न्यायिक कार्यवाही में उपयोग में लाया जाने के प्रयोजन से मिथ्या साक्ष्य गढ़ने को 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दण्डनीय बनाती है। यहां यह भी उल्लेख किया जाना सुसंगत होगा कि इस मामले में दिनांक 29.04.2025 को जो आरोप विरचित किया गया है वह 182 व 211 भा0दं0सं0 में विरचित

किया गया था, परंतु धारा 222 दं0प्र0सं0 यह प्रावधानक करती है कि जब वह अपराध जो साबित हुआ है, आरोपित अपराध के अंतर्गत है तो साबित हुए अपराध के अंतर्गत भी अभियुक्ता को दोषसिद्ध किया जा सकता है, यदि अभियुक्ता को मालूम है कि जिस प्रकृति के अपराध के लिए उसका विचारण हो रहा है वह उसी से संबंधित है। वर्तमान मामले में अभियुक्ता रंगोली गौतम के द्वारा फर्जी एवं मनगढ़न्त घटना बनाकर एवं उसके समर्थन में होटल साराग्राण्ड में दिनांक 08.08.2022 को 03.25 बजे कमरा सं0 105 बुक करवा कर उसकी रसीद को पत्रावली में शामिल करके मिथ्या साक्ष्य गढ़ने का भी अपराध किया गया था। इस प्रकार अभियोजन इस मामले को संतोष जनक साक्ष्य से युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। तद्नुसार **प्रश्न सं0 3** जो इस आशय का विरचित किया गया है कि ''क्या अभियोजन अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित कर सका है?'', **सकारात्मक** रूप से निर्णीत किया जाता है।

है।

अभियुक्त रंगोली गौतम, अंतर्गत धारा 182, 193 211 भा0दं0सं0 दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त पूर्व से से ही न्यायिक अभिरक्षा में है और आज जरिए वी0सी0 न्यायालय में उपस्थित है। दण्ड के बिन्दु पर विशेष लोक अभियोजक एवं अभियुक्त एवं उसके विद्वान अधिवक्त को सुनने हेतु पत्रावली लंच बाद पेश हो। यदि रंगोली गौतम का कोई आपराधिक इतिहास हो तो उसे भी प्रस्तुत किया जाये।

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
दिनांकः 02–07–2025 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जे0ओ0 कोड यू0पी0 6127

**<u>लंच बाद</u>**

पत्रावली भोजन अवकाश के उपरांत पुनः पेश की गयी। दोषसिद्ध रंगोली गौतम न्यायिक अभिरक्षा में उपस्थित है। दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई प्रारंभ करते हुए विशेष लोक अभियोजक श्री अरविन्द मिश्रा द्वारा यह बहस की गयी है कि दोषसिद्ध रंगोली गौतम के द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण

अधिनियम एवं भा0दं0सं0 की धारा 328 एवं 376 के अत्यंत गंभीर प्रावधानों का दुरूपयोग करते हुए घटना स्थल विभूतिखण्ड, जनपद लखनऊ का काल्पनिक कथानक दिखाते हुए एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी थी, जिससे वह कौशल कुमार अग्रवाल को जेल भिजवा सके। विद्वान लोक अभियोजक श्री अरविन्द कुमार मिश्र का कहना है कि दोषसिद्ध रंगोली गौतम द्वारा कौशल कुमार अग्रवाल को इसलिए फर्जी एफ0आई0आर0 के जरिए झूठा फंसाया गया, क्योंकि पत्रावली में यह तथ्य सामने आ रहा है कि कौशल कुमार अग्रवाल ने कुछ भूमाफियाओं के खिलाफ कार्यवाही करते हुए प्रशासन को शिकायत की थी कि सरकारी सम्पत्तियों पर कुछ व्यक्तियों द्वारा कब्जे किये जा रहे हैं, जिसके दस्तावेज विवेचक ने पत्रावली में एकत्रित किये हैं तथा कौशल कुमार अग्रवाल ने दिनांक 09.05.2022 को पुलिस आयुक्त, लखनऊ को लिखे एक पत्र में राज्य सरकार से अपनी निजी सुरक्षा की भी मांग की थी। इन्हीं कारणों से भूमाफियाओं के द्वारा कौशल कुमार को जेल भिजवाने के आशय से रंगोली गौतम का प्रयोग करते हुए यह झूठा मुकदमा लिखवाया गया था, जिसमें विवेचना के उपरांत सच्चाई नहीं पायी गयी। एक निम्न चरित्र की महिला, अपने विरोधियों के प्रति, यदि घृणा से युक्त एवं बदले की भावना से ओतप्रोत हो जाये तो कितना नीचे गिर सकती है, यह प्रकरण उसका एक उदाहरण है। रंगोली गौतम ने इसके पूर्व भी एक अन्य *मु0अ0सं0 154/2022 अंतर्गत धारा 506, 504, 352 भा0दं0सं0 थाना तालकटोरा, लखनऊ पर* लिखवाया था, जिसमें भी सूचना झूठी पायी गयी। अतः उसका अपराध बहुत बड़ा है, वह अभ्यासिकतः अपराधी है, उसके प्रति दया दिखाने की आवश्यता नहीं है। उसे कठोरतम दण्ड से दण्डित किया जाये।

वहीं पर बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सतीश कुमार, एडवोकेट को कई बार फोन करवाने पर भी न्यायालय उपस्थित नहीं आये। इस पर विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमाशंकर द्विवेदी को न्यायमित्र नियुक्त करके बचाव पक्ष की ओर से सुना गया, जिनके द्वारा अपनी बहस करते हुए कहा गया है कि पीड़िता एक महिला है, उसके छोटे–छोटे बच्चे हैं, रंगोली गौतम के साथ नशीला पदार्थ खिलाकर, रेप का अपराध घटित हुआ है, वह अनुसूचित जाति की महिला है, अतः उसके अपराध को क्षमा करते हुए उसे प्रोबेशन पर छोड़ दिया जाये। वह वचनबद्ध करती है कि वह भविष्य में ऐसा अपराध नहीं करेगी।

मैंने उभयपक्षों को विस्तार से सुन लिया है तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन कर लिया है।

विशेष लोक अभियोजक की बहस एवं इस तथ्य के प्रकाश में कि

दोषसिद्ध रंगोली गौतम के द्वारा एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए गैंगरेप जैसे घृणित अपराध के मामलों में निर्दोषो के विरूद्ध इस न्यायालय में मुकदमें दर्ज कराया गया हैं, इस न्यायालय का विचार है कि अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर अत्याचार का अपराध का निवारण करने के लिए तथा ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों को राहत एवं उनके पुनर्वास तथा उससे संबंधित या उससे अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है। इस अधिनियम में एफ0आई0आर0 दर्ज किये जाने के संबंध में कठोर प्रावधान किये गये हैं कि सूचना प्राप्त होने पर पुलिस के लिए आवश्यक बना दिया गया है कि बिना प्रारंभिक जांच किये हुए तत्काल एफ0आई0आर0 दर्ज की जाये। इसी प्रकार अग्रिम जमानत का भी प्रावधान समाप्तप्राय कर दिया गया है एवं यहां तक कि सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार करने के पूर्व उनके विभागाध्यक्ष पूर्वानुमति की आवश्यकता भी समाप्त करके अधिनियम के प्रावधानों को इस आशय से कठोर बना दिया गया है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रति अपराध के करने वालों अभियुक्तों के प्रति कठोरता से कार्यवाही की जा सके। साथ ही साथ एफ0आई0आर0 दर्ज करने के साथ प्रतिकर एवं पुर्नवास के संबंध में भी अनेक प्रावधान एस0सी0/एस0टी0 रूल्स, 1995 में बनाये गये हैं। जो भी अधिनियम जितना ही कठोर प्रावधान से युक्त होता है, उसका लागू करने वाले स्टेकहोल्डर्स का यह दायित्व होता है कि यह सुनिश्चित करे कि आवश्यक एवं सुपात्र व्यक्ति की तत्काल सहायता सुनिश्चित की जाये तथा साथ ही साथ ऐसे तत्व जो इसके कठोर प्रावधानों का, अपने निहित स्वार्थ के लिए दुरूपयोग करना चाहते हों, उन्हें हतोत्साहित किया जाये। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में रंगोली गौतम को प्रोबेशन का लाभ दिया जाना न्यायोचित नहीं होगा।

एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट के दुरूपयोग तथा बलात्कार के मामलों के दुरूपयोग के अनेक उदाहरणों से यह कोर्ट बोझिल है तथा अनेक प्रकरणों में विवेचकों द्वारा मात्र मामला झूठा पाये जाने पर यह लिख करके अंतिम आख्या प्रेषित कर दी जाती है कि इसमें कोई मामला नहीं बन रहा तथा मुकदमा लिखवाने वाले वादकारियों के विरूद्ध धारा 182, 211 भा0दं0सं0 की कोई कार्यवाही नहीं करती है, जो पूरे न्यायिक व्यवस्था के लिए घातक हो जाती है।

जैसा कि निर्णय के अग्रभाग में यह देखा जा चुका है कि इसमें रंगोली गौतम के द्वारा कौशल कुमार अग्रवाल के होटल में स्वयं जाकर, कमरा बुक

कराकर मिथ्या साक्ष्य गढ़ा गया तथा बाद में अगले दिन एक महिला अधिवक्ता के साथ जाकर थाना विभूतिखण्ड में तहरीर दी गयी, अर्थात रंगोली गौतम को एक महिला अधिवक्ता की विधिक सहायता हमेशा उपलब्ध थी। वर्ष 2013 में निर्भया गैंगरेप मामले के बाद पूरे देश में महिलाओं के प्रति यौन हिंसा/बलात्कार के अपराध के विरूद्ध आक्रोश को देखकर आपराधिक विधियों में संशोधन किये गये थे तथा उनमें यह प्रावधान किया गया कि सामान्य छेड़छाड़ से लेकर बलात्कार के मामलों में पुलिस को एफ0आई0आर0 तुरंत दर्ज करनी चाहिए एवं दर्ज करने के पूर्व किसी प्रकरण की प्रारंभिक जांच नहीं होगी। यदि कोई पुलिसकर्मी महिला अपराधों से संबंधित मामलों में, प्रारंभिक जांच के नाम पर प्राथमिकी दर्ज करने को टालता है तो वह स्वयं धारा 166ए भा0दं0सं0/199 बी0एन0एस0 में दण्डित किया जायेगा। इसी के साथ महिलाओं के प्रति अपराधों में राज्य/केन्द्र सरकार की प्रतिकर योजनाओं में पीड़िताओं को आर्थिक सहायता देने के भी प्रावधान किये गयें। हर मामले के दो पहलुओं की भांति इसका नकारात्मक पहलू यह सामने आया है कि फर्जी बलात्कार/गैंगरेप की घटनाएं भी पुलिस थानों में तेजी से दर्ज करवायी जा रही हैं। इसी के साथ अनूसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन धारा 18 एवं 18ए में भी ऐसे ही मिलते जुलते प्रावधान किये गये है तथा इस एक्ट में भी एफ0आई0आर0 दर्ज करवाने से लेकर आरोप पत्र प्रेषित कर देने व विचारण की समाप्ति तक, विभिन्न चरणों में पीड़ित को एक लाख रूपये लेकर आठ लाख पच्चीस हजार रूपये तक देने के प्रावधान किये गये हैं। एफ0आई0आर0 दर्ज किये जाने के कठोर प्रावधान एवं पीड़ित बनकर प्रतिकर की धनराशि हड़पने के लालच, ने अपराधों/अपराधियों का एक नया वर्ग, कानून व्यवस्था से जुड़ी संस्थाओं जैसे पुलिस, न्यायालय आदि के समक्ष पैदा कर दिया है, जिसमें अपने दुश्मनों, से बदला लेने के लिए कुछ महिलाओं के द्वारा, इसी प्रवृत्ति के अधिवक्ताओं से साठगांठ करके बलात्कार/गैंगरेप/एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट के झूठे मुकदमें लिखवाये जाते हैं तथा अपना बदला पूरा करने के साथ–साथ प्रतिकर की धनराशि को भी आपस में बांट लिया जाता है। एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट के अंतर्गत यदि, पीड़िता अनुसूचित जाति की महिला हो और इसमें गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का नाम जोड़ दिया जाये तो मामला एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट में आ जायेगा और एस0सी0/एस0टी0 रूल्स, 1995 की अनूसूची 1 में क्रम सं0 24 पर वर्णित आठ लाख पच्चीस हजार रूपये की धनराशि पाने की योजना भी पूरी हो जायेगी, जिसे बाद में आपस में बांट लिया जायेगा। उल्लेखनीय है कि धारा

3(2)5 एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के स्तर पर सहायता धनराशि का 50 प्रतिशत, आरोप पत्र आ जाने पर 25 प्रतिशत विचारण के समाप्त होने पर शेष 25 प्रतिशत धनराशि दिये जाने का प्रावधान किया गया है। ऐसे मामलों में दोषसिद्धि होना आवश्यक नहीं है, मात्र विचारण समाप्त होने का प्रावधान दिया गया है। ''कोई भी भारतीय महिला, अपने शील के विरूद्ध सामान्यतया, मिथ्या आरोप नहीं लगायेगी'', यह नैतिक सिद्धान्त, बदले हुए भारतीय समाज के परिवेश में मेल नहीं खाता है तथा अनेक न्यायालयों में पॉक्सो ऐक्ट से लेकर धारा 376 भा0दं0सं0 के मामलों में मिथ्या एफ0आई0आर0 लिखाये जाने की घटनाएं असामान्य नहीं हैं।

झूठे बलात्कार के बढ़ते मामलों पर निराशा एवं चिन्ता जताते हुए तथा उन मामलों में लंबे विचारण के बाद दोषमुक्त हुए अभियुक्त के बारे में बताते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***राजू तथा अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य ए0आई0आर0 2009 एस0सी0 858*** में कहा है कि बलात्कार के मामले पीड़िता के लिए अत्यंत अपमानकारक एवं पीड़ाजनक होते हैं, परंतु साथ ही साथ बलात्कार के झूठे मामले भी अभियुक्त के लिए अत्यंत पीड़ादायक, अपमानकारक होते हैं। अभियुक्त को भी ऐसे झूठे मामलों से बचाया जाना चाहिए तथा इस बात का कोई आधार नहीं है कि पीड़िताओं या ऐसे साक्षियों के बयान सही ही मानें जायें। माननीय न्यायालय के शब्दों में:–

".....It cannot be lost sight of that rape causes the greatest distress and humiliation to the victim but at the same time a false allegation of rape can cause equal distress, humiliation and damage to the accused as well. The accused must also be protected against the possibility of false implication..... there is no presumption or any basis for assuming that the statement of such a witness is always correct or without any embellishment or exaggeration."

प्रस्तुत मामले में दोषसिद्ध रंगोली गौतम ने विपक्षी कौशल कुमार अग्रवाल के विरूद्ध धारा 328, 376, 504 भा0दं0सं0 व धारा 3(2)5 एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट में नामजद एफ0आई0आर0 दर्ज करवायी थी। रेप व धारा 3(2)5 एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट में आजीवन कारावास, जो शेष जीवन की अवधि एवं जुर्माने से दण्डनीय होता, जिसके कारण कौशल कुमार अग्रवाल को निर्दोष होते हुए भी शेष जीवन जेल में बिताना पड़ता।

इस प्रकार दोषसिद्ध रंगोली गौतम के द्वारा विपक्षीगण को ऐसे

अपराध के लिए झूठे रूप से आरोपित किया गया, जिसमें आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा हो सकती थी। आपराधिक मामलों में मुकदमें का वादी सबसे महत्वपूर्ण साक्षी होता है तथा उसे असत्य कथन नहीं करना चाहिए। न्यायालय का यह भी विचार है कि यदि झूठा मुकदमा दर्ज कराने वाले वादी को कठोर एवं समुचित सजा नहीं दी गयी तो अनेक व्यक्ति दुष्प्रेरित होकर एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट के प्रावधानों का दुरूपयोग करते रहेंगे।

**मध्य प्रदेश राज्य बनाम घनश्याम सिंह 2003 सी0आर0एल0जे0 4339 सु0को0** के विधिक दृष्टांत में यह विधि प्रतिपादित की गयी है कि ''अपर्याप्त दण्डादेश देकर अनुचित रूप से पक्षपात करने से न्यायिक पद्धति में जनता का विश्वास कम होता है और ऐसी गंभीर स्थिति में विधि और समाज में जनता का विश्वास कम हो जायेगा। इसलिए प्रत्येक न्यायालय का यह कर्तव्य है कि अपराध की प्रकृति और जिस रीति में वह कारित किया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए उचित दण्डादेश पारित करे। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसी अपराध में न्यायोचित और समुचित दण्डादेश विनिश्चित किया जाना चाहिए.....।''

आज समाज के प्रबुद्ध वर्ग में एवं जन सामान्य में यह विचार विमर्श उभरता रहता है कि विशेष अपराधों के विचारण के लिए बनायी गयी विधियों जैसे कि पॉक्सो एक्ट, एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट, दहेज उत्पीड़न निवारण अधिनियम आदि का दुरूपयोग किया जा रहा है एवं न्यायालयों को ऐसे दुरूपयोग रोकने की जो जिम्मेदारी सौंपी गयी है, उसका सम्यक निर्वहन करने में न्यायालय सफल नहीं हो पा रही हैं। मिथ्या एफ0आई0आर0 दर्ज कराने की घटना समाज में कितना विपरीत प्रभाव डाल रही है इसका मूल्यांकन इस तथ्य से किया जा सकता है कि संसद ने 182 एवं 211 भा0दं0सं0 के समतुल्य बी0एन0एस0 की धारा 217 एवं 248 में सजाओं को बढ़ाते हुए (6 माह व एक हजार जुर्माने से बढ़ाकर एक वर्ष एवं दस हजार रूपये के जुर्माने) तथा सात वर्ष एवं जुर्माने को बढ़ाते हुए (दस वर्ष एवं दो लाख के जुर्माने) तक का प्रावधान कर दिया है।

भारतीय आपराधिक विधि शास्त्र का यह मूल सिद्धान्त है कि भले ही 100 दोषी छूट जाए, लेकिन किसी निर्दोष को सजा न हो। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध झूठे आधार पर एफ0आई0आर0 दर्ज करायी जाती है तो उसके द्वारा, विधि शास्त्र के इस मूल सिद्धान्त पर ही अपनी ओर से कठोरतम प्रहार किया जाता है, जो कतई क्षम्य नहीं है।

दोषसिद्ध रंगोली गौतम के द्वारा विपक्षी कौशल कुमार अग्रवाल को आजीवन कारावास एवं जुर्माने से दण्डित करवाये जाने के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम व भा0दं0सं0 के रेप की धाराओं का दुरूपयोग करके एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी थी। यह मामला भी उस समय दर्ज कराया गया, जब कौशल कुमार अग्रवाल भारत देश में था ही नहीं, बल्कि उत्तरी अमेरिका स्थित महाद्वीप कनाडा देश में था। इस प्रकार कौशल कुमार अग्रवाल की चारित्रिक हत्या करने के लिए और उसे बदनाम कर कारागार में डालने के दुराशय से रंगोली गौतम के द्वारा न केवल स्वयं को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर एवं बलात्कार किये जाने की झूठी एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी, बल्कि कहा जा सकता है कि उसकी ओर से अपनी पूर्ण क्षमता में विपक्षी कौशल कुमार अग्रवाल के उपर अंतर्महाद्वीपीय बैलेस्टिक मिसाइल (आई0सी0बी0एम0) प्रक्षेपित की गयी, यह अलग तथ्य है कि उसका निशाना चूक गया एवं कौशल कुमार अग्रवाल बाल–बाल बच गया !

बलात्कार का झूठा आरोप लगाया जाना किसी पुरूष के व्यक्तित्व एवं मानसिक स्वास्थ्य पर स्थाई नकारात्मक प्रभाव भी छोड़ देता है। इससे उस व्यक्ति में चिन्ता, डिप्रेशन और अलगाव की भावना विकसित होती है। यह प्रभाव उसके व्यवहार संबंधी विचारों में इस तरह से आ सकते हैं कि उसके सामाजिक रिश्ते बिगड़ सकते है एवं आत्मसम्मान की भावना को क्षति पहुंच सकती है। वह सामाजिक रूप से अपने आपको अलग–थलग रूप से समझ सकता है तथा विधिक एवं न्यायिक कार्यवाही उलझे रहने के कारण उसके रोजगार अवसरों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। उसका व्यक्तिगत स्वास्थ्य भी तनाव और चिन्ता से इस तरह खराब हो सकता है, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य पूरी तरह गड़बड़ हो जाये। झूठे बलात्कार का आरोप उसको समाज में पुनः आत्म सम्मान प्राप्त करने में बाधा बन सकता है।

***सेजल शर्मा बनाम हरियाणा राज्य ए0आई0आर0 ऑन लाइन 2021 पंजाब और हरियाणा 1084*** के विधिक दृष्टांत में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष यह मामला था कि निर्दोष व्यक्तियों को हनीट्रैप में फंसा कर, उनसे टेलीफोन, मोबाइल से सम्पर्क करके बाद, उनको बलात्कार के झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देकर धन वसूली की जाती थी। इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने केस को निस्तारित करते हुए डी0जी0पी0, हरियाणा को यह निर्देशित किया था कि वे हरियाणा राज्य के प्रत्येक जनपद को यह सूचित कर दें कि यदि भविष्य में सेजल शर्मा एवं सहअभियुक्तों के द्वारा कोई छेड़छाड़ या बलात्कार की शिकायत की जाती है तो एफ0आई0आर0 तब तक न दर्ज की जाये जब तक पुलिस इस मामले की ठीक

से जांच न कर ले। माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देशित किया था कि सभी जिलों के मुख्यालय पर एस0पी0 आफिस के द्वारा एक ऐसा रजिस्टर अनुरक्षित किया जायेगा, जिसमें उन व्यक्तियों का उल्लेख होगा, जिन्होंने एक से अधिक बार बलात्कार की शिकायत दर्ज करवाई है, जिससे निर्दोष व्यक्तियों को बचाया जा सके। माननीय न्यायालय के शब्दों में:–

"However, a direction is issued to the Director General of Police, Haryana to communicate to all the Superintendents of Police in the State of Haryana that in case, in future, any FIR is registered at the instance of petitioner Sejal Sharma, co-accused Meenu Handa, Surender @ Pathan and Rajesh @ Kala, levelling allegations of rape or molestation against any person, no FIR will be registered, unless the matter is thoroughly inquired into by the police. It is also directed that at all District Headquarters, a record be maintained by SP Office concerned regarding such or similar complainants, who have registered more than one complaint of allegation of rape or where complaints are made by victims of Honey Trap, so as to keep a check and to protect innocent citizens....."

अभी हाल ही में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने ***सनोज कुमार मिश्रा बनाम राज्य तथा अन्य जमानत प्रार्थना पत्र सं0 1672/2025 निर्णीत दिनांक 30.05.2025*** के मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने यह सम्प्रेक्षित किया कि:–

"11. This is yet another case, reflecting the recent trend of lodging false complaints of sexual offences. Every false complaint of sexual offences not just causes immense damage to the person accused of the offence, but also creates cynicism and distrust across the society, which leads to even the genuine victims of sexual offences suffer, as society starts suspecting her truthful complaint also to be false. Such false complaints have to be dealt with sternly."

न्यायालय के अनुसार बलात्कार के झूठे मामले न केवल ऐसे झूठे आरोपित अभियुक्त को अत्यधिक क्षति पहुंचाते है, बल्कि समाज में रिश्तों के बीच में घोर अविश्वास और संदेह पैदा कर देते है, जिसका परिणाम यह होता है कि जो वास्तव में सही बलात्कार के मामले होते हैं, उन पीड़िताओं के प्रति भी समाज संदेह की दृष्टि से देखने लगता है। यहीं पर यह विशेष न्यायालय, रंगोली गौतम के साथ

थाना विभूतिखण्ड में एफ0आई0आर0 लिखाने गयी महिला अधिवक्ता को भी उनके कर्तव्यबोध के प्रति सजग होने के आग्रह के साथ यह उल्लेख करना, सुसंगत, उचित एवं आवश्यक समझती है कि अधिवक्ता, कोर्ट का अधिकारी होता है तथा बिना उसके कोर्ट का कोरम पूरा नहीं होता है, परंतु यही अधिवक्ता यदि झूठे मुकदमें लिखवा कर तथा दोषसिद्ध रंगोली गौतम जैसे महिलाओं को मात्र एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट में दिये जाने वाले प्रतिकर राशि के आपसी बटवारे के लालच से विधिक कार्यवाही करना जारी रखेंगे तो न्यायपालिका की छवि, विपरीत रूप से प्रभावित होने से कौन रोकेगा। विद्वान अधिवक्तागण पर, समाज में हो रहे इस क्षरण को रोकने की महती जिम्मेदारी है।

अतः मामले के अंत में तथा उपरोक्त विश्लेषण के प्रकाश में यह न्यायालय दोषसिद्ध रंगोली गौतम, बिना कोई अनावश्यक दया प्रदर्शित करते हुए निम्न दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित समझ रही हैः–

**आदेश**

**(क)**–दोषसिद्ध रंगोली गौतम को अंतर्गत धारा 182 भा0दं0सं0 छः माह के साधारण कारावास से एवं एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने पर एक सप्ताह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतान होगा। अंतर्गत धारा 193 भा0दं0सं0 में एक साल के कारावास से एवं एक हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने पर एक सप्ताह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतान होगा। अंतर्गत धारा 211 भा0दं0सं0 दोषसिद्ध रंगोली गौतम को छः वर्ष के कठोर करावास व पचास हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने पर नौ माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतान होगा।

**(ख)**–सभी सजाएं अलग–अलग चलेंगी। इस प्रकार उसे कुल मिलाकर सात वर्ष छः माह के कारावास एवं बावन हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जा रहा है। पहले धारा 182 भा0दं0सं0 की सजा तत्पश्चात धारा 193 भा0दं0सं0 एवं उसके बाद धारा 211 भा0दं0सं0 की सजा भुगतनी होगी।

**(ग)**–निर्णय की एक प्रति दोषसिद्ध को अविलंब निशुल्क प्रदान की जाये। निर्णय की एक प्रतिलिपि पुलिस आयुक्त, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाये कि किसी व्यक्ति /महिला द्वारा बार–बार बलात्कार/ सामूहिक बलात्कार (धारा 376/376डी भा0दं0सं0 एवं एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट ) आदि जैसे घृणित अपराधों के अधीन लिखाये जाने वाले एफ0आई0आर0 की दशा में इस तथ्य का उल्लेख

अवश्य करें कि उस व्यक्ति/महिला के द्वारा स्वयं या उसके परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा पूर्व में इस प्रकार की कुल कितनी एफ0आई0आर0, विपक्षीगण के विरूद्ध या अन्य किसी व्यक्ति के विरूद्ध दर्ज करायी गयी हैं या इस प्रकार के प्रार्थना पत्र आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर या थाने में प्रेषित किये गये हैं। ऐसी सूचना उसके द्वारा लिखवाये गये चिक एफ0आई0आर0 में टिप्पणी के रूप में अंकित कर दी जाये। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4) बी0एन0एस0एस0 के संबंध में, जहां वादी/वादिनी न्यायालय के माध्यम से एफ0आई0आर0 दर्ज करवाने आते हैं, उनमें थाने में पहले से दर्ज मुकदमों के बारे में न्यायालय द्वारा जानकारी मांगे जाने पर भी इन तथ्यों की सूचना प्रेषित की जाये। इसके लिए आर्टीफिशियल इन्टेलीजेन्स टूल्स (ए0आई0 टूल्स) की भी सहायता ली जा सकती है। निर्णय की एक प्रतिलिपि जिलाधिकारी, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित की जाये कि यदि राज्य सरकार के द्वारा दोषसिद्ध रंगोली गौतम को मु0अ0सं0 535/2022 अंतर्गत धारा 328, 376, 504 भा0दं0सं0 व धारा 3(2)5ए एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट को दर्ज करवाने के स्तर पर एस0सी0/एस0टी0 रूल्स 1995 के अधीन कोई राहत राशि दी गयी हो तो उसको तत्काल वापस लिया जाना सुनिश्चित करें।

**(घ)**किसी आपराधिक मामले में अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला (च्तपउं बिपम बेंम), आरोप पत्र आने पर ही, न कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो जाने पर बनता हुआ माना जाता है। विधायिका का आशय कदापि यह नहीं रहा है, करदाताओं से प्राप्त बहुमूल्य धन एवं करों (Tax payer's hard earned money) की धनराशि को झूठी एफ0आई0आर0 लिखवाने वाले शरारती तत्वों को राहत राशि/प्रतिकर के रूप में दिलवाया जाये। अनुसूची संलग्नक–1 में जो राहत राशि के प्रावधान किये गये है वे प्रथम दृष्टया मामला बनने पर, एक श्रेणीबद्ध एवं चरणबद्ध रूप मे इसलिए दिये गये है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति को एकमुश्त रकम दे दिये जाने पर, अत्याचार करने वाले अभियुक्तों द्वारा कहीं राहत राशि के कारण ही एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट का वह पीड़ित, कदाचित फिर किसी अन्य अपराध या हिंसा का शिकार न हो जाये। इस कारण एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट की धारा 15क(7) के अधीन विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलाधिकारी, लखनऊ को निर्देशित किया जाता है कि एस0सी0/एस0टी0 अत्याचार निवारण रूल्स 1995 के अधीन राहत राशि के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने पर, जो राहत राशि क्रमशः (10 प्रतिशत से लेकर 25 प्रतिशत) एवं आरोप पत्र प्रेषित किये जाने के स्तर पर 50 प्रतिशत की पीड़ित को उपलब्ध करायी जाती है वह समस्त धनराशि एकमुश्त, आरोप

पत्र प्रेषित किये जाने के स्तर पर ही प्रदान की जाये, मात्र एफ0आई0आर0 दर्ज किये जाने के स्तर पर ही न दी जाये। एफ0आई0आर0 दर्ज कराने के स्तर पर ऐसी राहत राशि दे दिये जाने पर विशेष अधिनियम एस0सी0/एस0टी0 के प्रावधानों का दुरूपयोग करते हुए, फर्जी एफ0आई0आर0 दर्ज कराये जाने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। आरोप पत्र के पूर्व मात्र चिकित्सीय, खाद्य या एस0सी0/एस0सी0 अधिनियम की धारा 15क(11) के अनुसार अत्याचार से पीड़ितों और उनके आश्रितों को वस्तु, खाद्य, जल, कपड़े, आश्रय, चिकित्सीय सहायता, परिवहन सुविधा, भरण पोषण, सुरक्षा आदि के मद् में ही सहायता दी जाये। एफ0आई0आर0 दर्ज होने के स्तर पर नगद सहायता उपलब्ध कराने से रोकने पर, विधि के दुरूपयोग करने वालों द्वारा फर्जी एफ0आई0आर0 दर्ज कराने एवं निर्दोषों को फंसाये जाने तथा एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट के अंतर्गत अत्यधिक वादों के लंबित होने की समस्या पर अंकुश लगाया जा सकेगा। जिन मामलों में एफ0आई0आर0 दर्ज करने के बाद विवेचक के द्वारा विवेचना के उपरांत, प्रथम दृष्टया मामला न बनने के कारण अंतिम रिपोर्ट (एफ0आर0) प्रेषित कर दी गयी हो, उन मामलों में पीड़ित को तब तक कोई प्रतिकर न दिया जाये जब तक कि वादी को सुनकर न्यायालय, विपक्षी को अभियुक्त के रूप में विचारण हेतु तलब न कर ले। यदि अंतिम रिपोर्ट स्वीकार कर ली जाती है तो मात्र एफ0आई0आर0 दर्ज कराये जाने के कारण पीड़ित को कोई प्रतिकर न दिया जाये, जिससे इस एक्ट को अक्षरशः एवं शब्दशः उसकी मूल भावना (In true letters and spirit) के अनुसार लागू किया जा सके।

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
दिनांकः 02–07–2025 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जे0ओ0 कोड यू0पी0 6127

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्घोशित किया गया।

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
दिनांकः 02–07–2025 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जे0ओ0 कोड यू0पी0 6127

शैलेन्द्र, आशुलिपिक।